संघर्षरत

मेहनतकश

अंक–24 जुलाई , 2015 सहयोग राशि : पांच रुपये

श्रम कानूनों पर तेज होते हमले

यह कैसा विकास

घोटाले दर घोटाले फिर भी मोदी चुप

मोदी सरकार ने किया बालश्रम का कानूनीकरण

ठेका प्रथा : दमन शोषण का हथियार

‘दुनिया वैश्विक महामंदी की ओर’–राजन

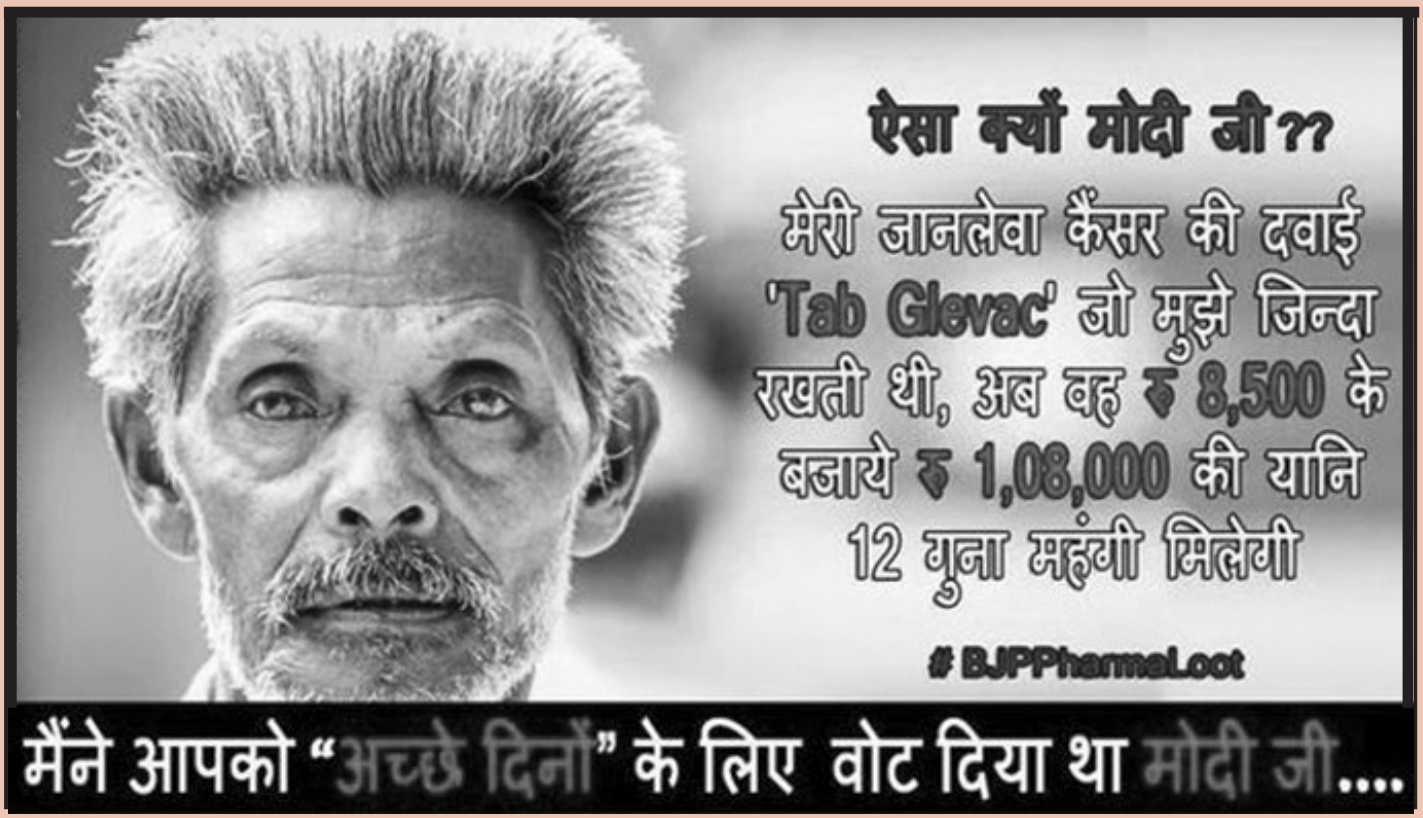

मां है रेशम के कारखाने में

❍

अली सरदार जाफरी

मां है रेशम के कारखाने में
बाप मसरूफ सूती मिल में है
कोख से मां की जब से निकला है
बच्चा खोली के काले दिल में है

जब यहाँ से निकल के जाएगा
कारखानों के काम आयेगा
अपने मजबूर पेट की खातिर
भूक सरमाये की बढ़ाएगा

हाथ सोने के फूल उगलेंगे
जिस्म चांदी का धन लुटाएगा
खिड़कियाँ होंगी बैंक की रौशन
खून इसका दिए जलायेगा

यह जो नन्हा है भोला भाला है
खूनीं सरमाये का निवाला है
पूछती है यह इसकी खामोशी
कोई मुझको बचाने वाला है!

संघर्षरत मेहनतकश

अंक–24 जुलाई,2015

सहयोग राशि : पांच रुपये

इस अंक में

कवर – 2

कविता : अली सरदार जाफरी

कवर – 3

लेख : डण्डा –प्रेमचंद

कवर – 4

ग्रीस ने ठुकराया बेलआउट पैकेज

अपनी बात

यह कैसा विकास 3

सामयकी

घोटाले दर घोटाले, मोदी चुप? 4

बेलागलपेट 5

महिला श्रमिक

घरेलू कामगार महिलाएं 6

अर्थ जगत

दुनिया वैश्विक महामंदी की ओर 7

आवरण कथा

श्रमकानूनों पर हमले

–यूनियन बनाने में अवरोध 8

–ठेकाकरण लेगा कानूनी रूप 9

–ठेका प्रथा : शोषण का हथियार 10

–बालश्रम का कानूनीकरण 11

मज़दूरनामा

मजदूर आन्दोलन के सामने चुनौती 12

मजदूरों पर हमले का नया तरीक 14

ये मनमानी नहीं चलेगी 17

देश–दुनिया

रोबो ने की मज़दूर की हत्या 18

सम्पादक

मुकुल

अमित चक्रवर्ती द्वारा के–2141 चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–19 से प्रकाशित तथा एल. एन. प्रिन्टर्स, सेक्टर–8 नोएडा उ.प्र. से मुद्रित

सम्पर्क :

फोन: 09412969989, 09873057637

mehnatkash2015@gmail.com

अनियतकालीन, अव्यवसायिक और निजी वितरण हेतु

अपनी बात

यह कैसा विकास?

सत्ता संभालने के एक वर्ष के दौरान मोदी सरकार का कहर आम मेहनतकश अवाम पर जबर्दस्त रूप से बरपा है। देशी–विदेशी मुनाफाखोरों के हित में कमर कसे मोदी सरकार जहाँ लम्बे संघर्षों के दौरान हासिल श्रम कानूनों को पूरी तरह से मालिकों के हित में पलटने में लगी है, वहीं जनहित की सीमित परियोजनाओं को खत्म करने, बजट कटौती और बड़ी पूँजी के हित में छोटे उद्योगों से संरक्षण हटाने जैसे काम तेज हुए हैं। उधर उद्योग जगत की सब्सीडियों और छूटों में भारी बृद्धि हो रही है।

केन्द्र सरकार ने पिछले 10 अप्रैल को लघु और कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आने वाली बीस वस्तुओं से संरक्षण हटा लिया। इनमें अचार, पॉवरोटी, सरसों व मूंगफली का तेल, लकड़ी का फर्नीचर, रजिस्टर, कॉपी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, आतिशबाजी, स्टेनलस स्टील के बर्तन, कांच की चूड़ियाँ, लोहे की आलमारी, कुर्सी, टेबल व फर्नीचर, रोलिंग शटर, ताले, कपड़े धोने का साबुन और दियासलाई शामिल हैं। जाहिर है कि यह स्व रोजगार का बड़ा क्षेत्र रहा है, लेकिन बड़ी कम्पनियों द्वारा निर्मित सामानों के बाजार की राह में बाधक भी है।

उल्लेखनीय है कि 1977 की जनता पार्टी सरकार के समय 807 वस्तुओं को लघु व कुटीर उद्योगों के लिए संरक्षित किया गया था। लेकिन उदारीकरण के इस दौर में इसे खत्म किया जाने लगा। बाजपेई की भाजपा नीत सरकार के दौर में 1 अप्रैल, 2000 को एकमुस्त 643 वस्तुएं संरक्षित सूची से हटाई गयी थीं। रही सही कसर अब निकल गयी।

दूसरी ओर, विगत एक वर्ष में आम जनता की हितकारी योजनाओं के मद में मोदी सरकार ने तेजी से कैंची चलाकर सामाजिक हित के प्रति अपना "वास्तविक" सरोकार दिखाया है। इस दौरान सामाजिक कार्याक्रमों के मद में उसने पौने दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कटौती की है। यह हाल तब है, जब संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में 19.4 करोड़ लोग भुखमरी से ग्रस्त हैं।

सरकार ने गरीबों के गरिमामय जीवन के मद में 66 हजार करोड़ रुपये व पिछड़े इलाकों के मद के अनुदान में 6 हजार करोड़ रुपये कटौती कर दी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट से साढ़े सात हजार करोड़, पशुपालन व डेयरी विकास कार्यक्रमों के मद से सात सौ करोड़, राष्ट्रीय सिंचाई योजनाओं से 8 हजार करोड़ राष्ट्रीय जीवन यापन मिशन से डेढ़ हजार करोड़ रुपये काट लिये। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उप योजना का बजट 13 हजार करोड़ व अनुसूचित जनजाति उप योजना बजट में साढ़े सात हजार करोड रुपये कम हो गये। प्राथमिक शिक्षा का बजट 10 हजार करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा का डेढ़ हजार करोड़, उच्च शिक्षा का डेढ़ हजार करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 3650 करोड़, आवास योजना का चार हजार करोड़ तथा पेयजल व सफाई आदि योजनाओं का बजट नौ हजार करोड़ रुपये कम हो गया।

बड़े ही शातिराना ढ़ंग से सरकार जनता के हितों पर हमले कर रही है। इसके लिए वह भाँति–भाँति के तरीके आजमा रही है। इसमें 'गैस सब्सिडी छोड़ो' जैसे मनोवैज्ञानिक विज्ञापनों से लेकर दूसरे माध्यमों से रोक लगाने के नुस्खों में जुटी है। ताजा उदाहरण में सरकार की योजना सब्सिडी के लिए दिए जाने वाले धन में कटौती के साथ ही नए लाभार्थियों को इस दायरे से बाहर करने की भी है। यानी वर्तमान में ही नामांकित परिवारों को ही इसका लाभ मिले। इसका सीधा अर्थ यही है कि सरकार नामांकित होने वाले नए परिवारों के लिए फंड नहीं देगी।

जनाब मोदी के 'मन की बात' चाहें जो हो, कर्म की बात तो यही है।

श्रम कानूनो पर हमले के खिलाफ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वन पर 2 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाओ!

घोटाले दर घोटाले फिर भी मोदी चुप क्यों?

मुकुल

पिछले वर्ष आम चुनावों में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी रैली या सभा में यह हुंकार जरूर भरते थे कि, '**न खाऊंगा, ना खाने दूंगा**'। सत्ता संभालने के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने मथुरा की रैली में दंभ भरा कि **पिछले एक साल में किसी घोटाले या भाई भतीजावाद की कोई खबर नहीं है।** अभी यह गुब्बारा पूरी तरह फूल भी नहीं पाया था कि भ्रष्टाचार के तेज थपेड़ों ने उनके दंभ की हवा निकाल दी।

हलांकि मोदी के दावे से पहले ही मध्य प्रदेश के भाजपाई 'सुशासन' मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला उजागर हो चुका था, लेकिन केन्द्रीय मंत्रियों सुषमा स्वराज व स्मृति इरानी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुश्यन्त कुमार व महाराष्ट्र की काबीना मंत्री पंकजा मुण्डे के भ्रष्टाचारों की कलई एक के बाद एक खुलती चली गयी। अब दावे ये हो रहे हैं कि मोदी ईमानदार हैं। ईमानदारी के दावे तो मनमोहन सिंह के बारे में भी थे।

कांग्रेसी संस्कृति से भिन्न आखिर यह कैसा भ्रष्टाचार है, जिसने हर बात पर बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर मोदी की बोलती बन्द कर दी?

वसुंधरा राजे

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी से संबंधों ने गम्भीर सवाल उठाया है। ललित मोदी भारत में एक वांछित अपराधी थे। वसुंधरा ने मोदी की गवाही के लिए जुलाई 2011 में अपना लंदन दौरा चार हफ्तों के लिए बढ़ाया था, और इसी दौरान उन्होंने ललित मोदी की मदद करने के लिए दस्तावेजों पर साइन किए थे।

वह तब ब्रिटेन गये बीजेपी के उस प्रतिनिधि मंडल की सदस्य थीं, जिसमें नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी भी शामिल थे। वसुंधरा ने ललित मोदी से जुड़े कागजात और एफिडेविट में साइन करने के लिए अपना दौरा एक महीना बढ़ा लिया था। उन्होंने राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी ललित मोदी के पक्ष में एफिडेविट दिया था, जिसे साल 2011 में ब्रिटेन की कोर्ट में ललित मोदी के पक्ष में पेश किया गया।

यही नहीं, वसुंधरा के सांसद पुत्र **दुष्यंत सिंह** पर ललित मोदी की कंपनी के शेयर दस हजार गुना अधिक राशि में खरीदने का मामला है।

सुषमा स्वराज

केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर भी पूर्व आईपीएल कमिश्नर और व्यवसायी ललित मोदी को कुछ अहम ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद करने के आरोप लगे हैं। सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने ललित मोदी को ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश की थी।

हालांकि सुषमा ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने ललित मोदी की मदद कैंसर से पीड़ित उनकी पत्नी का इलाज कराने के लिए मानवीय आधार पर की थी। जबकि ललित मोदी भारत में एक वांछित अपराधी थे और उन पर प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय घोटालों के आरोप लगाए थे, जिन पर सुनवाई के लिए ललित आज तक ब्रिटेन से भारत नहीं लौटे हैं। सवाल यह है कि ऐसी 'मानवीयता' आम जनता के प्रति भी है?

पंकजा मुंडे

पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी व महाराष्ट्र की महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे पर राज्य में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत 206 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है।

पंकजा मुंडे ने एक दिन में 24 सरकारी आदेश जारी किए, जिनके तहत 206 करोड़ रुपये की वस्तुएं खरीदी गईं। खरीदारी किसी प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुई और इसमें कुछ संस्थाओं को विशेष फायदा दिया गया। इसमें 80 करोड़ रुपये की चिक्की की खरीद सबसे अहम है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंकजा के समर्थन में आगे आए हैं।

स्मृति ईरानी

मोदी कैबिनेट की सबसे तेजतर्रार मंत्रियों में से एक शिक्षामंत्री स्मृति ईरानी पर चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी देने और फर्जी सर्टिफिकेट जमा कराने के आरोप हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।

अपूर्व है व्यापम घोटाला

मध्यप्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाला अपूर्व है। इससे पहले शायद ही किसी घोटाले ने इतने लोगों की जान ली हो। आरोपियों और गवाहों समेत चालीस से ज्यादा लोगों की मौत महज संयोग नहीं है।

सन 2013 में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक–एक उम्मीदवार से लाखों रुपए वसूले गए। उम्मीदवारों की जगह दूसरों ने परीक्षाएं दीं। बड़े पैमाने पर धांधलियां तो हुई ही, सामान्य प्रशासन विभाग ने परीक्षा के नियम भी बदल दिए। इसमें शिक्षा मंत्री से लेकर अनेक विभागों के आला अफसर, बिचौलिये और कई राजनीतिक शामिल थे, आरोप तो यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री के कई करीबियों और रिश्तेदारों ने बेजा फायदा उठाया। शिवराज सिंह चौहान को भाजपा आदर्श मुख्यमंत्री और उनके कामकाज को सुशासन की मिसाल बताती रही है। पर यह कैसा सुशासन है जिसने घपले और क्रूरता का रिकार्ड कायम किया है!

प्रधानमंत्री, भष्टाचार के अन्य मामलों की तरह व्यापमं कांड पर भी चुप्पी साधे हुए हैं!

सब्जी 4 रुपए और मटन कटलेट 18 रुपए प्लेट

देश के सांसदों को पूड़ी–सब्जी खाने पर 88 फीसद की रियायत दी जा रही है। कैंटीन में चिप्स के साथ तली हुई मछली 25 रुपये प्रति प्लेट, मटन कटलेट 18, उबली सब्जियां 5, मटन करी 20 व मसाला डोसा 6 रुपये में मिलता है।

सांसदों को 90 फीसद सब्सिडी के साथ महज 4 रुपये प्रति प्लेट की दर से मसालेदार सब्जियां परोसी जाती है जबकि इन्हें तैयार करने में 41.25 रुपये की अनुमानित लागत आती है। इसी तरह मांसाहारी खाने की थाली को 66 फीसद सब्सिडी के साथ 33 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। 1.98 रुपये का पापड़ मात्र एक रुपये में मिलता है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार माननीयों की अच्छी सेहत के लिए कैंटीनों को पांच साल में 60.7 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

विदेशों में मोदी को मिल रहे कीमती उपहार

पिछले वर्ष 26 मई को प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेन्द्र मोदी खूब विदेश यात्रायें कर रहे हैं और भरपूर तोहफे बटोर रहे हैं। केवल दस महीने के दौरान उन्हें विदेशों में 3.11 लाख रुपये के 65 कीमती तोहफे मिले हैं। 19 फरवरी की यात्रा में तोहफे के तौर पर 75 हजार रुपये के सोना व हीरा जड़े कफलिंक मिले। मिले तोहफों में आभूषणों के साथ ही टी–सेट, चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन आदि शामिल हैं।

यात्राओं से मोगांबो (उद्योग जगत) खुश है तो तोहफे मिलेंगे ही!

कर लो काले को सफेद

सुन लो जी! मोदी सरकार ने काले धन को सफेद बनाने का मौका दे दिया है! भारत सरकार ने विदेशों में अघोषित संपत्ति घोषित करने करने के लिए कंप्लायंस विंडो अधिसूचित किया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) एवं कराधान अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत 30 सितम्बर 2015 तक भारत से बाहर मौजूद अघोषित चल–अचल संपत्ति की घोषणा की जा सकेगी। जो लोग अपनी चल–अचल संपत्ति की घोषणा करेंगे, उन्हें संपत्ति पर टैक्स एवं पेनल्टी भरने के लिए छूटों के साथ 31 दिसंबर 2015 तक का मौका दिया जाएगा।

सांसदों की बल्ले–बल्ले वेतन होगा 1 लाख रुपए

देश के मज़दूरों का न्यूनतम वेतन घोषित करने में भी सांसदों–मंत्रियों की आह निकलती है, लेकिन अपने वेतन के मामले में वे खूब उदार बन जाते हैं! उन्हें खुद ही वेतन बढ़ाना है!

तभी तो भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सांसदों के वेतन एवं दैनिक भत्तों में 100 फीसदी जबकि पूर्व सांसदों की पेंशन में 75 फीसदी इजाफे की सिफारिश की है। यही नहीं, समिति ने पूर्व सांसदों के 'पति या पत्नी' की जगह उनके 'साथियों' के सुविधाओं की भी वकालत की है।

यानी सांसदों के मौजूदा वेतन 50,000 रुपए को बढ़ाकर दोगुना 1 लाख रुपए, पूर्व सांसदों की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए करने की वकालत की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संसद सत्रों के दौरान सदन में मौजूदगी के लिए सांसदों को मिलने वाले दैनिक भत्ते को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए किया जाए।

समिति ने यह सिफारिश भी की है कि पूर्व सांसद एवं उनके साथ चलने वाले को प्रथम श्रेणी का टिकट दिया जाए। इसके अलावा, समिति का मानना है कि पूर्व सांसदों को साल में पांच बार इकानॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सांसदों को एक साल में करीब 36 बार एक्जिक्यूटिव क्लास में यात्रा की अनुमति दी जाती है। समिति ने सांसदों के शादीशुदा बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देने की भी सिफारिश की।

'वाजपेयी बोले, गुजरात में हमसे गलती हुई'

भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत ने कहा है कि गुजरात दंगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत बताया था। इंडिया टुडे टीवी को दिए साक्षात्कार में दुलत ने बताया, 'वर्ष 2004 के चुनाव में वाजपेयी की हार के बाद मैं उनसे मिलने पहुँचा था। हार पर बात करते हुए उन्होंने कहा था गुजरात में शायद हमसे गलती हो गई।'

केजरीवाल के घर पर 30 एसी, बिल आया 1.35 लाख

दिल्ली की आम जनता के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का जून माह के बिजली का बिल 1.35 लाख रुपए आया है। कभी दिल्ली वासियों के बेतहाशा बिजली बिल को लेकर लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल के आवास पर बिजली के दो मीटर लगे हुए हैं। दोनों ही घरेलू श्रेणी के मीटर हैं। इनमें एक 34 किलोवॉट, दूसरा 70 किलोवॉट का है।

खबरों के अनुसार केजरीवाल के आवास में कई एयर–कूलरों के अलावा 30 से ज्यादा एयर–कंडीशनर लगे हैं. इस बीच सूत्रों ने कहा कि सिविल लाइन्स इलाके में बिजली आपूर्ति करने वाली एक वितरण कंपनी के अनुसार दफ्तर के काम के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करने के मामले में मुख्यमंत्री आवास पर नोटिस भेजा जा सकता है।

शोषण की चक्की में पिसती घरेलू कामगार महिलाएं

संध्या

देश में कामगार महिलाएं जिन विविध कामों में लगी हुई हैं, उनमें सबसे खराब स्थिति घरों में काम करने वाली महिलाओं की है। तमाम छोटी बच्चियां, जिनकी उम्र पढ़ने व खेलने की है, आर्थिक मजबूरियां उन्हें भी इन कामों और विकट स्थितियों में जीने को मजबूर करती है।

घरों में काम करने वाली महिलाओं का बड़ा हिस्सा दलितों, आदिवासियों और प्रवासी महिलाओं का है। इन्हें तरह–तरह की स्थितियों में काम करना पड़ता है। कुछ बंधुआ श्रमिक बना दिए जाते हैं, तो कुछ गुलाम! कइयों को शारीरिक और यौन प्रताड़ना दी जाती है।

कानूनी स्थिति

तमाम आंदोलन के बाद 2008 मे केंद्र सरकार ने 'घरेलू कामगार (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) कानून' पारित किया, जिसने घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन पाने का हक और कुछ अन्य अधिकार सुरक्षित किया। पर यह भी अब तक लागू नहीं हुआ।

श्रम कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी

राज्यों की है। पर अब तक महज नौ राज्य सरकारों ने घरेलू कामगारों के बारे में सोचा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें श्रमिक के रूप में मान्यता दी है और कल्याण बोर्ड स्थापित किया। जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान ने उन्हें मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें से कुछ राज्यों में उन्हें न्यूनतम कानून का हकदार भी माना गया है। लेकिन उन्हें अभी यह अधिकार भी प्राप्त नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में उनके लिए बोर्ड स्थापित किया गया था, पर उसने काम करना बंद कर दिया है। सिर्फ केरल में उन्हें काम की न्यायपूर्ण शर्तें हासिल हो पाई हैं।

एक बड़ी बात यह भी है कि घरों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक, भारत में करीब छह करोड़ घरेलू कामगार महिलाएं हैं। जबकि केंद्र सरकार का मानना है कि यह संख्या ढाई करोड़ की है।

अन्तर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस

16 जून पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 16 जून 2011 को घरेलू कामगार सम्मलेन में घरेलू कामगारों के अधिकार एवं नीति, सिद्धांत की घोषणा हुई थी। इस घोषणा का अहम पहलू यह है कि किसी भी घरेलू कामगार को काम पर लगाते समय नियोक्ता को काम के घंटे, प्रकार आदि की लिखित जानकारी देनी चाहिए।

लेकिन उनकी स्थिति बदलने में इन कानूनों ने भी कोई भूमिका नहीं निभाई। एक संगठित लड़ाई ही उन्हें अपने अधिकारों को पाने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है।

मुस्लिम होने की वजह से

नौकरी देने से किया मना

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हीरा निर्यात कम्पनी हरिकृष्ण एक्सपोर्ट्स ने एक लड़के को मुस्लिम होने के कारण नौकरी देने से मना कर दिया।

जीशान अली खान नाम के लड़के ने उक्त कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त मेल में लिखा है कि "आवेदन देने के लिए धन्यवाद। हमें आपको बताते हुए यह अफसोस है कि हम गैर मुस्लिम लोगों को ही नौकरी पर रखते हैं।"

इसबीच मिली खबरों के मुताबिक मुम्बई के एक सत्र न्यायालय ने उक्त हीरा निर्यात कम्पनी के निदेशकों सहित आरोपी पाँच को अग्रिम जमानत दे दी है।

भूल सुधार

'मेहनतकश' के पिछले (मई, 2015) अंक में भूलवश दो गलतियां चली गयी थीं–

1– 'मई दिवस की विरासत...' लेख (पृष्ठ–6) में "116 साल पहले" की जगह "129 साल" होगा।

2– 'केजरीवाल...' खबर (पृष्ठ–20) में "...विगत 27 मार्च" की जगह "25 मार्च" होगा।

नहीं मिला मुम्बई में मकान

मुंबई। मुम्बई में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का एक और मामला सामने आया है। गुजरात की मिस्बाह कादरी को मुम्बई के वडाला में फ्लैट देने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वह मुस्लिम है। इस घटना की जाँच कराने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखा है।

25 साल की कादरी एक कम्पनी में मीडिया रिलेशन विभाग में काम करती हैं। उन्होंने बीते 27 मई को बताया कि एक एजेंट के माध्यम से वडाला स्थित संघवी हाईट्स बिल्डिंग में एक फ्लैट किराये पर लिया। इसके लिए उन्होंने एजेंट को 24 हजार रुपए डिपॉजिट के तौर पर दिया। फ्लैट में जिस दिन जाना था, उसके एक दिन पहले एजेंट ने बताया कि इस बिल्डिंग में मुस्लिम को फ्लैट नहीं दिया जाता है। बावजूद इसके यदि वे रहना चाहती हैं तो उन्हें लिखकर देना होगा कि यदि उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो बिल्डंग की सोसाइटी, फ्लैट का मालिक और एजेंट जिम्मेदार नहीं होगा।

अब झारखण्ड में श्रमसुधार की तैयारी

रांची। मोदी सरकार के तर्ज पर अब झारखण्ड की भाजपा सरकार भी मालिकों के हित में श्रम कानूनों में भारी बदलाव की राह पर चल पड़ी है। राज्य सरकार बिहार इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट बिल–2015 ला रही है। कान्ट्रैक्ट लेबर एमेंडमेंट बिल–2015 व पेमेंट आफ वेजेज एमेंडमेंट बिल–2015 लाने की तैयारी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एमेंडमेंट बिल, 2015 लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कई नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।

राज्य में लागू झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करते हुए इसमें नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि राज्य सरकार दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में महिला कामगारों की कार्य अवधि तय कर सकती है।

इन सारे संसोधनों का मूल मंत्र है मालिकों को मनमाने तौर पर काम पर रखने व निकालने, मामूली दिहाड़ी पर मनमर्जी घण्टे खटाने आदि की खुली छूट देना।

'दुनिया वैश्विक महामंदी की ओर' – रघुराम राजन

एम रंजन

यूरोपीय संघ में यूनान के बने रहने या दिवालिया होने की आशंकाओं के बीच भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट और यूरो के मूल्य में भारी कमी आयी है। पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने चेताया था कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा निर्यात पर बल देकर अपने पड़ोसी देशों को गरीब बनाने की रणनीति वैश्विक महामंदी का एक कारण बन सकती है।

राजन ने ऐसे समय में वैश्विक आर्थिक महामंदी की आशंका जतायी है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दावा कर रही हैं कि वे पिछले दशक की मंदी से उबर कर स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं। वृद्धि दर के कथित आंकड़े कमोबेश आर्थिक बेहतरी की ओर संकेत कर रहे हैं, पर वास्तविकता इसके विपरीत है। पूँजीवादी थिंकटैंक भी विकास और निवेश की बड़ी–बड़ी संख्याओं के पीछे ऋण, आर्थिक विषमता और धन के केंद्रीकरण में बढ़ोतरी को नजरअंदाज करना आत्मघाती मान रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 'केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बैंकों को आगाह किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वैसी ही समस्याओं से घिर रही है, जैसी 1930 के दशक में महामंदी के समय थी।

राजन ने कहा कि अगर बैंकों की मौद्रिक नीतियों पर कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं बनती है, तो पूरी दुनिया में 1930 के ग्रेट डिप्रेशन (आर्थिक महामंदी) जैसी स्थिति होने का खतरा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में 2008 की मंदी आने से पूर्व राजन ने ही सबसे पहले मंदी आने की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही गंभीर स्थितियों से गुजर रही है। ग्रीस की अर्थव्यवस्था संकट में है, चीन में आर्थिक मंदी के संकेत मिल रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की दर भी पिछले कुछ वर्षो से कम ही रही है। 2008–09 में यूरोप और अमेरिका मंदी का शिकार हुए थे। अमेरिका ने अपना संकट यूरोप सहित अन्य देशों में ठेलकर फिलहाल कुछ संभला है, लेकिन यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी हिचकोलें खा रही हैं।

कुल मिला कर देखें, तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन इस सच्चाई से कदापि नहीं बचा जा सकता है कि समृद्धि के जो टापू खड़े हैं वो रेत की ढेर पर हैं और उसे ढहने से कोई नहीं बचा सकता।

दरअसल मुनाफे की अंधी हवस ही मंदी का मुख्य कारण है। पूँजीवादी थिंकटैंक इसे बखूबी जानते हैं और राजन जैसे नियामक इससे होने वाले परिणामों से बचने की कवायद के लिए समय समय पर चेताते भी रहते हैं।

पूँजीवाद की नियति

मुनाफे की अंधी हवस बेरोजगारी बढ़ाती है। लोगों के खरीदने की शक्ति घटती जाती है। बाजार में सामान तो भरा होता है, लेकिन उसके खरीददार नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में बाजार कमजोर पड़ जाता है और कंपनियां घाटे में चली जाती है। कर्ज अदा न होने से बैंकों के दिवाले निकल जाते हैं। कंपनियां दिवालिया हो जाती है। रोजगार की गति और मंद पड़ती है। बाजार रूक सा जाता है। और पूरी अर्थव्यवस्था एक दुश्चक्र में फंस जाती है। पूँजीवाद की यही नियति है।

एचएसबीसी खत्म करेगा 25,000 नौकरियां

विश्व के सबसे बड़े बैंकों में से एक और यूरोप के सबसे बड़े बैंक एचएसबीसी ने ऐलान किया है कि वह दुनिया भर में अपने बैंकों से कम से कम 25,000 नौकरियों की कटौती करेगा।

बीबीसी के समाचार के अनुसार एचएसबीसी के 2,66,000 कर्मचारियों में से करीब 10फीसदी कर्मचारियों की नौकरियां जाएंगी, इनमें से 8,000 नौकरियां ब्रिटेन में जाएंगी।

एचएसबीसी का तर्क है कि इससे वह अपना खर्च कम कर सकेगा और अपने बिजनेस को सरल बनाएगा।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में एचएसबीसी में 48,000 कर्मचारी काम करते हैं। बैंक ने घोषणा की है कि वो न सिर्फ रीटेल बैंकिंग बल्कि इन्वेस्टमेंट बैंकिग में भी कटौती करेगी।

साथ ही बैंक ने ये भी घोषणा की है कि वे ब्राजील और तुर्की में अपनी इकाइयां बेच देंगे।

मंदी से गुजर रहा है कनाडा

वॉशिंगटन। बैंक ऑफ अमरीका मेरिल लिंच ने चेताया है कि कनाडा इस साल मंदी के दौर से गुजर रहा है। अर्थशास्त्री एमेनुएला इनानजोर और उनकी टीम ने कहा है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही के दौरान 0.6 फीसदी की गिरावट देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में भी 0.6 प्रतिशत सिकुड़ चुकी है। यहां मंदी की परिभाषा है लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था का सिकुड़ना।

इनानजोर के मुताबिक इस मंदी के चलते बैंक ऑफ कनाडा को इसी साल एक बार फिर दरों में कटौती करनी पड़ सकती है जिससे कनाडाई डॉलर और गिर सकता है। यह एक दशक के निचले स्तर 77 सेंट्स यूएस तक जा सकता है। इनानजोर ने कहा, 'इस साल के पहले हाफ में अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली है जिससे यह मंदी में दाखिल होती नजर आ रही है। यह हाल तब है जब जनवरी में पॉलिसी ईजिंग किया जा चुका है।'

बेरोकटोक जारी हैं श्रमकानून पर हमले

'हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यवस्था सुलभ करानी है जिसके तहत कारोबार सुगम हो और कराधान का स्तर पूरी तरह प्रतिस्पर्धी हो। निवेशक स्थिरता चाहते हैं। वे अनिश्चितता पसंद नहीं करते। ...भूमि, श्रम और कराधान – ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार बेहद आवश्यक हैं. कई निवेशकों ने इसका जिक्र किया है।'

–केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली
(अमेरिकी पूँजीपतियों को भरोसा देते हुए)

नई दिल्ली। देश के श्रम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार ने श्रमिकों की भर्ती और बर्खास्तगी के सख्त कानूनों में ढील देने, श्रमिक यूनियन बनाने के नियमों को अधिक कठिन बनाने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित कर दी है। देश की सभी ट्रेड यूनियनों ने इन प्रस्तावों का विरोध किया है और **दो सितंबर** को **आम हड़ताल** का आह्वान किया है।

कारोबार के लिए श्रमसुधार जरूरी

'मौजूदा परिप्रेक्ष्य में श्रम सुधार की जरूरत है ताकि कारोबार के फलने–फूलने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके। इसके लिए आपको श्रम कानूनों को आसान और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है।'

–केन्द्रीय श्रममंत्री दत्तात्रेय
(भारतीय पूँजीपतियों के सम्मेलन में)

देश के 44 श्रम कानून 4 संहिताओं में आएंगे

देश में कारोबार आसान करने के बहाने सरकार मौजूदा 44 श्रमकानूनों को 4 संहिताओं में बदलने की प्रक्रिया में है। मालिकों के हित में श्रम कानूनों को आसान बनाते हुए सरकार का तर्क है कि आज देश में 44 श्रम कानून हैं और कारोबारियों पर दबाव रहता है की वे इन सभी कानूनों का पालन करें। इसीलिए उन 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बदल कर "सरल" जा रहा है।

इसमें एक संहिता औद्योगिक संबंध, दूसरी वेतन, तीसरी सामाजिक सुरक्षा तथा चौथी सुरक्षा पर है। दो संहिता– वेतन और औद्योगिक संबंध, तैयार भी हो चुके हैं। इसमें ट्रेड यूनियन कानून, औद्योगिक विवाद कानून और औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) कानून को मिलाकर औद्योगिक संबंधों के लिए एक ही कानून बनाने का प्रस्ताव है। इस बहाने मज़दूरों के हित को संरक्षित करने वाले ढ़ेरो कानून खत्म हो जाएंगे।

कुल मिलाकर मालिकों को उन तमाम कानूनी बंधनों से मुक्त करना है, जो श्रमिको को लम्बे संघर्षों और कुर्बानियों से हासिल हुए थे।

बदले कानून से होगा यह कि -

– 300 श्रमशक्ति वाले कारखानों में छंटनी, लेऑफ या बन्दी के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

– केवल कर्मचारियों को ही यूनियन बनाने की इजाजत होगी।

– श्रम अदालतों के प्रावधान खत्म होंगे।

– औद्योगिक न्यायाधिकरण यथावत रहेंगे।

– आधे से अधिक कामगारों का एक साथ आकस्मिक अवकाश पर जाना हड़ताल पर जाना माना जाएगा।

भविष्यनिधि कानून में बदलाव श्रमिकों के पॉकेट पर डकैती

नई दिल्ली । केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्यनिधि कोष और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

इस प्रस्ताव के अनुसार पीएफ कटौती के उद्देश्य से 'अंशदायी वेतन' की अवधारणा को शामिल किया गया है। नियोक्ताओं को राहत प्रदान करने की गरज से ईपीएफ योजना के तहत कामगारों के प्रति कंपनियों द्वारा किया जाने वाला योगदान 'अंशदायी वेतन' का हिस्सा होगा जिसमें मकान किराया व यात्रा भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी मालिक द्वारा पीएफ में दिये जाने वाला हिस्सा मज़दूर के मूल वेतन का हिस्सा होगा।

उल्लेखनीय है कि यूनियनें चाहती हैं कि नियोक्ताओं द्वारा 12 प्रतिशत पीएफ अंशदान कुल (टेकहोम) वेतन पर होना चाहिए लेकिन नियोक्ताओं ने इस विचार का विरोध करते हुए कहा है कि इससे पीएफ देनदारी बढ़ेगी।

यही नहीं, नियमों में ढील के साथ इसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। 10 कामगारों वाली कम्पनी पर भी अब ईपीएफओ कानून लागू करने की तैयारी है। अब मजदूरों को दैनिक/मासिक मजदूरी की न्यूनतम 21 फीसदी राशि ईपीएफओ खाते में जमा करानी पड़ेगी। अभी यह सीमा 20 थी। 40 कामगार वाली छोटी इकाईयों में नियोक्ताओं के योगदान को 12 से घटाकर 9 फीसद करने तथा जुर्माने एवं वसूली से राहत देने का प्रावधान है। नियोक्ता की मदद के लिए केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय आयुक्तों के अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

यूनियनों में बाहरी व्यक्ति पर होगी रोक

सरकार की ओर से प्रस्तावित औद्योगिक संबंध विधेयक में कहा गया है कि संगठित क्षेत्र में सिर्फ वे व्यक्ति जो उद्योग में रोजगार कर रहे हैं या लगे हैं, ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी हो सकते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर संगठनों में सिर्फ 2 बाहरी सदस्य पदाधिकारी हो सकते हैं। अयोग्य करार दिए जाने के प्रावधानों में यह भी है कि अगर कोई पहले ही 10 अन्य ट्रेड यूनियनों में पदाधिकारी है तो वह व्यक्ति पदाधिकारी नहीं हो सकता।

मोदी सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए केन्द्रीय श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा था, 'यूनियनें मजदूरों की सही प्रतिनिधि संस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाहर के लोगों को लाकर एजेंडा तय करें। हम इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो हिस्सेदार है और मजदूरों के साथ जुड़ा है, वही यूनियन बनाए।'

ठेकाकरण लेगा कानूनी रूप

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने उद्योगों को ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति में राहत प्रदान की है। सरकार ने उद्योग जगत को परियोजना आधारित या कम अवधि वाले कार्यों के लिए ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। यानी कम्पनियों को 'मनमर्जी काम पर रखने व निकालने' का कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है।

यह प्रस्ताव वर्ष 2003 में तत्कालीन राजग सरकार ने पेश किया था लेकिन 2007 में मज़दूर संगठनों के दबाव में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। अब मोदी सरकार ने इसे एक बार फिर ठंडे बस्ते से बाहर निकाला है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम में संशोधन करने के लिए नियमों का मसौदा जारी कर कथित तौर पर उस पर जनता की राय मांगी है। ये प्रस्ताव 29 अप्रैल को जारी किए गए थे और जनता को टिप्पणी के लिए 45 दिन का समय दिया गया था। लेकिन समय बीत जाने के बावजूद केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तक को इस प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

मसौदा नियमों के अनुसार कारखानों में 'तय अवधि' के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी लेकिन उनके कामकाजी घंटे, वेतन, भत्ते इत्यादि स्थायी कर्मचारियों के समान ही होंगे। ऐसे मामलों में नियोक्ता को रोजगार की अवधि या परियोजना समाप्त होने पर कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं देना होगा। इससे उद्योगों को थोड़ी अवधि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने में आसानी होगी। राजग सरकार द्वारा कामकाज संभालने के कुछ दिन बाद ही फिक्की ने कहा था, 'समयबद्ध परियोजनाओं और थोड़ी अवधि के करारों को पूरा करने के लिए तय अवधि के रोजगार की जरूरत है, जहां परियोजना पूरी होने के बाद कामगारों को हटा दिया जाए।'

यूनियन अधिकार पर हमला आईएलओ ने किया विरोध

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने मजदूर संगठनों में बाहरी सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। आईएलओ ब्यूरो फॉर वर्कर्स एक्टिविटीज (एक्ट्राव) के एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के डेस्क अधिकारी राघवन ने कहा, 'आईएलओ घोषणा में साफ साफ कहा गया है कि मजदूर संगठनों के ढांचे के बारे में फैसला करना इन संगठनों का काम है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वह सिर्फ सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा सकती है।'

आईएलओ एक्ट्राव की निदेशक मारिया हेलेना आंद्रे ने कहा, 'यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि सरकार किसे बाहरी बताती है। यह (प्रस्ताव) वैधानिक व चुने गए सदस्यों को यूनियन से बाहर कर सकता है।' उन्होंने कहा, 'कोई भी आधुनिक समाज मजदूरों के विचार जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकता।' उन्होंने कहा कि कुछ प्रस्तावों का अंतराष्ट्रीय मानकों से तालमेल नहीं है और इस मसले पर आईएलओ, मजदूर संगठनों के साथ है।

आमगांव खदान रिपोर्ट के आइने में ठेका श्रमिकों के हालात

बिश्रामपुर (रायगढ़)। देश में ठेकाप्रथा का जोर बढ़ने के साथ असुरक्षित परिस्थितियों में काम का जोर बढ़ता जा रहा है। जिससे आए दिन अंग–भंग होने से लेकर अकाल मौत की घटनाएं आम बनती जा रही हैं। बिश्रामपुर के कोल खदान में 19 साल के युवा मज़दूर की दर्दनाक मौत इसी की एक बानगी है।

एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की आमगांव ओपनकास्ट परियोजना में बीते 23 अप्रैल को ओबी फेस में घटित खान दुर्घटना में 19 वर्षीय ठेका श्रमिक सुंदर हेम्बरम की मौत हो गयी। सुंदर सैनिक माइनिंग एंड एलाइड सर्विसेज नामक निजी कंपनी में कार्यरत था। घटना की जाँच में कई खामियां मिलीं। जिसके बाद 28 अप्रैल को भारत सरकार के खान सुरक्षा निदेशक ने तत्काल प्रभाव से इस खदान को बंद करने का निर्देश दिया।

जन दबाव में आनन–फानन में हुई जाँच ठेका श्रमिकों के हालात का दर्पण है। रिपोर्ट के अनुसार खदान में ड्यूटी के दौरान कामगार असुरक्षित हैं और उनकी जान को खतरा है। जांच में पाया गया कि खदान के ओबी उत्पादन कार्य करने वाली मेसर्स सैनिक माइनिंग एण्ड एलाइड सर्विसेज के 50 से अधिक ठेका कामगार बगैर वीटीसी किए नियम विरुद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं। ठेका कामगारों को पहचान के लिए मेटल टोकन नहीं दिया जाता है। जहाँ सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक अभाव है। खदान में कार्यरत कामगारों की जान असुरक्षित है। उन्हें जान का खतरा है।

जांच रिपोर्ट भयावहता की एक सच्चाई को उजागर करती है। जिसमें दर्ज है कि खदान में वनवे ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। कृषि कार्य में उपयोग में लाई जानी वाली ड्रील मशीन से कार्य किया जा रहा है। हाल रोड में कोल डस्ट है। लोडिंग प्वाइंट सहित हाल रोड ओबी डंप यार्ड में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। परियोजना में ओवरमैन, माइनिंग सरदार की वैधानिक श्रम शक्ति की कमी है। 24 घंटे चलने वाली खदान में ठेका कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का कोई रिकार्ड नहीं है। इसके अलावा खदान में प्रारंभिक चिकित्सकीय परीक्षण कराए बिना ठेका मजदूरों से काम कराया जा रहा है। खदान में नियम विरुद्ध ढंग से ठेका कामगारों से 12–12 घंटे कार्य कराया जा रहा है। कामगारों की ड्यूटी एवं शिफ्ट की समयावधि नोटिस बोर्ड में अंकित नहीं की जाती है। खदान के बी एवं डी फार्म में भी कार्य की जानकारी चस्पा नहीं होती है। ठेका मजदूरों की ड्यूटी आने व जाने के समय टाइम आफिस में फार्म बी में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है और न ही किसी रजिस्टर में कोई लिखत–पढ़त होती है।

खदान हो या कारखाना, आज इन्हीं परिस्थितियों में काम करने को विवश हैं ठेका मज़दूर। मुनाफे की अंधी हवश कितनी जिन्दगियां रोज लील रही हैं...।

मौत की भट्टी

फिरोजाबाद में कांच की चूडियों के कारखानों में कोई लंच ब्रेक नहीं होता और भट्टियां लगातार जलती रहती हैं। कारखाने चमकते जा रहे हैं, जबकि मजदूरों की हालत दयनीय है और हादसे आम बात हैं।

(श्रम मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा 30 अगस्त, 2012 को लोकसभा में पेश रिपोर्ट)

ठेका प्रथा : दमन शोषण का हथियार

यूँ तो आज केन्द्र की मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारें ठेका प्रथा को कानूनी रूप देने में जुटी हुई हैं। इस प्रकार मज़दूरों के शोषण व दमन के विराट कारोबार को कानूनी रूप मिलना अब वक्त की बात है।

उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र के उपश्रमायुक्त इस शोषण की बात करने वाले मज़दूरों से अक्सर कहते हैं कि मेरा ड्राइवर संविदा में है, मैं उसे स्थाई नहीं कर सकता, तो तुम्हारे लिये क्या करुंगा। इस बात में सच्चाई भी है और यह श्रम विभाग के बचने का एक हथियार भी बन गया है।

वर्तमान दौर में ठेका प्रथा पूँजीवादी लूट का महत्वपूर्ण हथकण्डा बन चुका है। आज अधिकतर मज़दूर अपने अधिकारों और इसे हासिल करने के लम्बे संघर्षों और कुर्बानियों से अपरिचित हैं। इसे जानना जरूरी है, ताकि अपने हक के संघर्षों को सही ढ़ंग से आगे बढ़ाया जा सके।

ठेका कानून के संघर्ष

अंग्रेजी गुलामी के दौर में कारखानों के मालिक मज़दूरों की भर्ती और उनपर काबू पाने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल करते थे। इसके खिलाफ आवाज उठी और देश के मज़दूर आन्दोलन के विकास के साथ यह संघर्ष भी आगे बढ़ता गया। आन्दोलनों के दबाव में ही ठेका मज़दूरों के हालात पर कई कमीशन और कमेटियां बैठी जिनमें प्रमुख हैं – व्हिटले कमीशन (1860), बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी (1938), बिहार लेबर इंक्यायरी कमीशन (1941), रेगा कमेटी (1946) आदि।

आजादी के बाद भारत में कामों के विस्तार के साथ ठेका मज़दूरों की संख्या और बढ़ी। संघर्ष भी बढ़ा। प्रबन्धन और मज़दूरों के बीच होने वाले टकरावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम बना। लेकिन इसमें ठेकेदारी का सवाल केवल आंशिक रूप से देखा गया। इसलिये संघर्ष जारी रहा। अन्ततः 1970 में ठेका मज़दूरी (विनिमय और उन्मूलन) अधिनियम बना। यह कानून ठेका प्रथा के पूर्ण खात्में की बात नहीं करता, लेकिन ठेका मज़दूरों को एक महत्वपूर्ण अधिकार हासिल हुआ।

इस कानून मे ठेका मज़दूरों के काम का दायरा निर्धारित हुआ, कई प्रकार के कामों को ठेका मज़दूरों से कराना गैर कानूनी घोषित हुआ, तथा जिन क्षेत्रों में ठेका मज़दूरों से काम लेने की अनुमति थी, उनमें भी उन्हें उपलब्ध विभिन्न अधिकारों का उल्लेख किया गया।

ठेका मज़दूरों के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान

ठेका मज़दूरी (विनिमय और उन्मूलन) अधिनियम (1970) व ठेका मज़दूरी (विनिमय और उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 के तहत ठेका मज़दूरों के निम्न अधिकार हैं–

➲ यह हर उस कम्पनी पर लागू होता है, जहाँ पिछले एक साल में किसी भी दिन 20 या अधिक ठेका मज़दूर कार्यरत रहे हों।

➲ ठेकेदार का स्पष्ट वर्णनों के साथ पंजीकरण आवश्यक है, जिसमें कार्य की प्रकृति दर्ज हो।

➲ ठेका मज़दूरों को कैंटीन, विश्रामगृह, प्राथमिक चिकित्सा, पीने का पानी, शौचालय और मूत्रालय आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

➲ पूरा वेतन एक निर्धारित अवधि में, निश्चित तिथि को प्रबन्धन प्रतिनिधि की उपस्थिति में वितरित होना चाहिए। वेतन में गड़बड़ी की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की होगी।

➲ नियमों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार को तीन माह की जेल या अर्थ दण्ड अथवा दोनो हो सकता है।

किन कामों के लिए ठेका

आज जहाँ देखो वहीं ठेका मज़दूरों को झोंक कर काम कराया जाता है। इस सम्बन्ध में ठेका मज़दूरी अधिनियम, 1970 की धारा 10(2) के तहत इन क्षेत्रों में ठेके पर काम प्रतिबन्धित है–

➲ कार्य उद्योग या उत्पादन के लिए आवश्यक हो ना कि आकस्मिक। जैसे कि कम्पनी में कोई निर्माण कार्य। कम्पनी में लगी किसी मशीन की देखभाल का काम ठेके में प्रतिबन्धित है।

➲ कार्य निरन्तर चरित्र का हो। अधिनियम के तहत कोई कार्य साल में 120 दिन से अधिक का हो तो वह निरंतर चरित्र का माना जाएगा। सामान्य उत्पादन से जुड़ा हर काम निरंतर चरित्र का माना जाएगा, जहाँ ठेका प्रतिबन्धित है।

➲ सभी स्थाई प्रकृति के काम।

अधिनियम की धारा 10(2) के आलोक में उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल, 1990 के अनुसार इन्जीनियरिंग उद्योगों में 18 प्रकार के काम ठेका मज़दूरी पर प्रतिबन्धित घोषित हुए थे। इनमें फैब्रिकेशन, फोर्जिंग व सभी प्रकार के एसम्बिलिंग के काम; सभी प्रकार की कटिंग व पालिशिंग के काम; टर्निंग, वेल्डिंग, ग्राइण्डिग, फॉउड्री, प्रेस, शीट एवं मेटल, आदि सभी प्रकार के उत्पादन कार्यो के साथ ही सफाई, सैनीटेशन, सिक्योरिटी गार्डस, हल्की व भारी वाहन की ड्राइविंग, लिफ्ट, क्रेन ऑपरेटर; मॉली, कैन्टीन कर्मचारी आदि कोई भी काम ठेके पर नहीं कराए जा सकते थे। लेकिन पिछले सालों में सफाई स्कैबेजिंग, सैनिटेशन, सिक्योरिटी गार्ड्स, हल्के वाहन चालक, माली, कैण्टीन आदि कामों को संविदा में कराने की छूट मिल गयी।

ज्यादातर कम्पनियों में है दिखावटी ठेका (शैम कॉंट्रैक्ट)

दिखावटी ठेका वह है जहाँ ठेका प्रथा महज दिखावटी हो, मज़दूर वास्तव में कम्पनी के प्रत्यक्ष कर्मचारी के रूप में काम करते हों। यानी काम तो कम्पनी के सीधे निर्देशन में करते हों, लेकिन उसे ठेके में दिखाया जाता हो।

आज अधिकतर जगहों में दिखावटी ठेका ही लागू है, ताकि कम्पनियां अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का 2009 का फैसला महत्वपूर्ण है–

"...औद्योगिक नयायाधीश माँग की जा रही राहत (ठेका मज़दूरों का स्थाईकरण) प्रदान कर सकता है अगर उसे लगे कि ठेकेदार व मुख्य नियोक्ता के बीच का ठेका दिखावटी और नाम मात्र का है और मज़दूरों को उन्हें उपलब्ध सुविधाओं से वंचित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका अनुमान कुछ सामान्य परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जैसे कि वेतन किसके द्वारा दिया जाता है, कामगार को नौकरी से निकालने या उसके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का अधिकार किसको है, कौन कामगार को काम करने के तरीकों आदि में निर्देश दे सकता है, कुल मिलाकर कामगार पर किसका निर्देशन और नियंत्रण है।"

–अमर

मोदी सरकार ने कर दिया बालश्रम का कानूनीकरण

पारिवारिक कारोबार के बहाने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अब कानूनी रूप लेने जा रहा है। पिछले 13 मई को केंद्रीय कैबिनेट ने बाल श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। मालिकों को बाल मज़दूरों से काम लेने के लिए समर्थ बनाने वाले इस प्रावधान पर 'दैनिक ट्रिब्यून' में प्रकाशित ***जावेद अनीस*** *का यह लेख इस सच्चाई को उजागर करता है कि उदारीकरण के दौर में ढ़ेरों काम घरेलू दायरे में आ गये हैं, जो कि वास्तव में औद्योगिक काम हैं... मालिक को चाहिए सस्ता मज़दूर...*

भारत ने अभी तक संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते की धारा 32 पर सहमति नहीं दी है, जिसमें बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने की बाध्यता है। 1992 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह जरूर कहा था कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हम बाल मजदूरी को खत्म करने का काम रुक–रुक कर करेंगे, क्योंकि इसे एकदम से नहीं रोका जा सकता है। आज 22 साल बीत जाने के बाद हम बाल मजदूरी तो खत्म नहीं कर पाए हैं, उलटे केंद्रीय कैबिनेट ने बाल श्रम पर रोक लगाने वाले कानून को नरम बनाने की मंजूरी दी है। इस पर अंतिम मुहर संसद में संशोधित बिल पास होने के बाद लगेगी। इसमें सबसे विवादास्पद संशोधन पारिवारिक कारोबार या उद्यमों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में संलग्न 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के दायरे से बाहर रखने का है। यह संशोधन एक तरह से 'बाल श्रम को आंशिक रूप से कानूनी मान्यता देता है, हालांकि इसमें यह पुछल्ला भी जोड़ दिया गया है कि ऐसा करते हुए अभिभावकों को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो और उसकी सेहत पर कोई विपरीत असर न पड़े। इसके अलावा संशोधन में माता–पिता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान में ढील और खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 साल की उम्र तक के किशोरों के काम पर भी रोक लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

इस संशोधन को लेकर विशेषज्ञों और बाल अधिकार संगठनों की चिंता है कि इससे बच्चों के लिए स्थितियां और बद्तर हो जायेगी, क्योंकि व्यावहारिक रूप से यह साबित करना मुश्किल होगा कि कौन सा उद्यम पारिवारिक है और कौन–सा नहीं। इसके आड़ में घरों की चारदीवारी के भीतर चलने वाले उद्यमों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूर के तौर पर झोंके जाने की संभावना बढ़ जायेगी, लेकिन इस दिशा में मोदी सरकार का यह पहला कदम नहीं है, इसी साल जून में सरकार द्वारा फैक्टरी अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन की घोषणा की गयी है, जो नियोक्ता को बाल मजदूरों की भर्ती करने में समर्थ बनाता है और ऐसे मामले में सजा नियोक्ता को नहीं माता–पिता को देने की वकालत करता है।

तमाम सरकारी–गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद हमारे देश में बाल मजदूरी की चुनौती बनी हुई है, सावर्जनिक जीवन में होटलों, मैकेनिक की दुकानों और एवं सार्वजनिक संस्थानों में बच्चों को काम करते हुए देखना बहुत आम है, जो हमारे समाज में इसकी व्यापक स्वीकारता को दर्शाता है, समाज में कानून का कोई डर भी नहीं है। सरकारी मशीनरी भी इसे नजरअंदाज करती हुई नजर आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के बच्चों की कुल आबादी 25.96 करोड़ है। इनमें से 1.01 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं इसमें 5 से 9 साल की उम्र के 25.33 लाख बच्चे और 10 से 14 वर्ष की उम्र के 75.95 लाख बच्चे शामिल हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश (21.76 लाख) में हैं, जबकि दूसरे नम्बर पर बिहार है जहाँ 10.88 लाख बाल मजदूर हैं। राजस्थान में 8.48 लाख, महाराष्ट्र में 7.28 लाख तथा, मध्यप्रदेश में 7 लाख बाल मजदूर हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं और यह स्थिति तब है जब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल श्रम की परिभाषा के दायरे में शामिल थे, वैश्विक स्तर पर देखें तो सभी गरीब और विकासशील देशों में बाल मजदूरी की समस्या है। इसकी मुख्य वजह यही है कि मालिक सस्ता मजदूर चाहता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने पूरे विश्व के 130 ऐसे चीजों की सूची बनाई है जिन्हें बनाने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता है। इस सूची में सबसे ज्यादा बीस उत्पाद भारत में बनाए जाते हैं। इनमें बीड़ी, पटाखे, माचिस, ईटें, जूते, कांच की चूड़ियां, ताले, इत्र, कालीन, कढ़ाई, रेशम के कपड़े और फुटबाल बनाने जैसे काम शामिल हैं। भारत के बाद बांग्लादेश का नंबर है जिसके 14 ऐसे उत्पादों का जिक्र किया गया है, जिनमें बच्चों से काम कराया जाता है।

घरेलू स्तर पर काम को सुरक्षित मान लेना गलत होगा। उदारीकरण के बाद असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काफी बदलाव आया है, काम का साधारणीकरण हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे काम घरेलू के दायरे में आ गये हैं जो वास्तव में इन्डस्ट्रिअल हैं, आज हमारे देश में बड़े स्तर पर छोटे घरेलू धंधे और उत्पादक उद्योग असंगठित क्षेत्र में चल रहे हैं, जो संगठित क्षेत्र के लिए उत्पादन कर रहे हैं। जैसे बीड़ी उद्योग में बड़ी संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं, लगातार तंबाकू के संपर्क में रहने से उन्हें इसकी लत और फेफड़े संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है। बड़े पैमाने पर अवैध रूप से चल रहे पटाखों और माचिस के कारखानों में लगभग 50 प्रतिशत बच्चे होते हैं, जिन्हें दुर्घटना के साथ–साथ सांस की बीमारी के खतरे बने रहते है। इसी तरह से चूड़ियों के निर्माण में बाल मजदूरों का पसीना होता है जहाँ 1000–1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भट्टियों के सामने बिना सुरक्षा इंतजामों के बच्चे काम करते हैं। देश के कालीन उद्योग में भी लाखों बच्चे काम करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के कालीन उद्योग में जितने मजदूर काम करते हैं, उनमें तकरीबन 40 प्रतिशत बाल श्रमिक होते हैं। वस्त्र और हथकरघा खिलौना उद्योग में भी, भारी संख्या में बच्चे खप रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में लाखों की संख्या में बाल मजदूर काम करते हैं। इनमें से अधिकांश का तो कहीं कोई रिकार्ड ही नहीं होता। कुछ बारीक काम जैसे रेशम के कपड़े बच्चों के नन्हें हाथों बनवाए जाते हैं।

बालश्रम निषेध और नियमन कानून में यह संशोधन बाल श्रम और शोषण को परिसीमित करने के बजाय उसे बढ़ावा ही देगा। (साभार)

हरियाणा

रिको ऑटो वर्कर्स यूनियन के प्रधान से बातचीत

"श्रमकानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव और ठेकाप्रथा आज मजदूर आन्दोलन के सामने प्रमुख चुनौती है"

धारुहेड़ा स्थित रिको कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की प्रमुख वेंडर कंपनियों में से है। सन 1986 में इस प्लांट की स्थापना हुई थी। काफी संघर्ष के बाद सन 1998 में प्लांट में श्रमिक यूनियन का गठन हुआ। तब से आज तक गुड़गांव से बावल तक के औद्योगिक क्षेत्र में रिको ऑटो वर्कर्स यूनियन एक प्रभावी भूमिका निभाते आ रही है। 2 जून, 2015 को कंपनी के मजदूरों ने काफी उत्साह से यूनियन का स्थापना दिवस मनाया और क्षेत्र के प्रमुख मजदूर यूनियनों और संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मेहनतकश पत्रिका प्रतिनिधि ने यूनियन के ***प्रधान राजकुमार*** *से रिको यूनियन और गुड़गांव से बावल तक के मजदूर आन्दोलन की स्थिति पर बातचीत की।*

मेहनतकश पत्रिका : *किन परिस्थितियों में रिको ऑटो वर्कर्स यूनियन का गठन हुआ था?*

राजकुमार : 1986 में प्लांट शुरू होने के बाद से 1998 तक कई बार यूनियन बनाने की पहल हुई। शुरू में यूनियन बनाना काफी कठिन काम था। प्लांट में मजदूरों का शोषण–दमन तीव्र था। 12 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद भी जबरिया ओवरटाइम। मजदूर का प्लांट से बाहर जाना मनैजमेंट की मनमर्जी थी। 1987 में कोशिश हुई तब नेतृत्व को बर्खास्त कर दिया गया था। फिर 1994 में एक और कोशिश हुयी थी। 1998 में धारुहेड़ा में जब पशुपति स्पिनिंग मिल में संघर्ष हुआ, तब स्थिति में थोड़ा बदलाव हुआ। तब इलाके में ज्यादा यूनियनें नहीं थीं, हीरो होंडा, के जे ऑटो, हैदराबाद इंडस्ट्रीज आदि में यूनियनें थीं। मगर सभी यूनियनों के बीच एक भाईचारा था जिसने नयी यूनियन बनाने की पहल को प्रोत्साहित किया। ऐसी स्थिति में हमनें फिर यूनियन बनाने की पहल ली। तब 12 बॉडी मेम्बरों में से 6 निलंबित हुए और बाकि 6 का लुधियाना रिको प्लांट में ट्रान्सफर हो गया। अंततः हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। तब कंपनी यूनियन को मानने के लिए मजबूर हुई। उसके बाद भी यूनियन पंजीकरण के लिए एक साल लग गया। पंजीकरण के बाद 2 जून, 1999 को यूनियन का झंडा लगाया गया। तबसे हर साल 2 जून को हम झंडा दिवस मनाते हैं।

मेहनतकश : *यूनियन बनने के बाद मजदूरों के हालात में कैसा बदलाव आया?*

राजकुमार : यूनियन बनने के बाद काम का समय 8 घंटा हुआ। ओवरटाइम की दर डबल हुई। 8 घंटे काम पर इंसेंटिव मिलना शुरू हुआ। सेटलमेंट के माध्यम से मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्लांट में मजदूरों पर प्रबंधन का दवाव काफी कम हुआ। 1998 के बाद से आज तक प्लांट में कोई भी मजदूर प्रबंधन द्वारा बर्खास्त नहीं हुआ है। यूनियन बनाने के बाद से कई ठेका और कैजुअल मज़दूर स्थाई हुए। स्थाई मज़दूरों की संख्या 225 से बढ़कर आज 406 हो चुकी है।

मेहनतकश : *एक लम्बे समय में आपने गुड़गांव मजदूर आन्दोलन को बहुत नजदीकी से देखा और भागीदारी निभायी। क्षेत्र के ट्रेड यूनियन संघर्ष के बारे में आपका क्या अनुभव रहा?*

राजकुमार : 1998 में यूनियन बनाना आज की तुलना में ज्यादा कठिन काम था। इसका कारण यह नहीं है कि मैनेजमेंट या सरकार का रुख नरम हुआ है। उनका रुख तब भी नेगेटिव था आज भी नेगेटिव है। मगर तब के मुकालबे आज आम मजदूर यूनियन के बारे में ज्यादा सचेत है। पहले यूनियन बनने के बाद यूनियन और कंपनी मनैजमेंट के बीच लगातार संघर्ष और एक दूरी बनी रहती थी। उस प्रक्रिया के बीच ही सेटलमेंट होता था। अभी कई कंपनियों में मैनेजमेंट यूनियन बॉडी को ए.सी. ऑफिस, गाड़ी इत्यादि सुविधाएँ देकर प्लांट के बाकी मजदूरों से और क्षेत्र के मजदूर आन्दोलन से काट कर अपने नजदीक करने का प्रयास कर रही है और एक हद तक कामयाब भी हो रही है। आज यूनियन की संख्या ज्यादा होने के बावजूद यह आन्दोलन के लिए एक खतरा है। वैसे गुड़गांव मजदूर आन्दोलन इस पूरे समय के दौरान काफी उतार–चढ़व से गुजरा है। खास कर बड़ी यूनियनों के संघर्षा ने इस उतार–चढ़ाव को काफी प्रभावित किया है। गुड़गांव मारुति में यूनियन बनने के बाद प्लांट के मजदूरों को जो सुविधाएँ हासिल हुई थी, उसका प्रभाव इलाके में रहा। मगर सन 2000 में मारुति के संघर्ष के पिट जाने के बाद स्थिति खराब हुई। सन 2005 में मानेसर होंडा में संघर्ष और यूनियन गठन के बाद स्थिति बदली। काफी संख्या में नये यूनियन गठित हुए और बेहतर सेटलमेंट हुआ। अभी 2012 में मारुति कांड के बाद मैनेजमेंट और प्रशासन ने एक नेगेटिव प्रचार और दमन के लिए इसका इस्तेमाल किया जिसका असर एक हद तक आन्दोलन में पड़ा।

मेहनतकश : *आज के समय में गुड़गांव से बावल तक इस क्षेत्र के मजदूर आन्दोलन में क्या क्या चुनौतियाँ व समस्याएं है?*

राजकुमार : आज श्रम कानून में मजदूर विरोधी बदलाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर श्रम कानून ही नहीं रहेगा तो ट्रेड यूनियन अधिकार और संघर्ष का कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी बात, इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है ठेका प्रथा। 1998 में हमारे प्लांट में कोई ठेका मजदूर नहीं था। 1998 से 2004 तक जब भाजपा केंद्र में सत्ता में रही, तब ठेका प्रथा लागू हुआ। इलाके का 80 से 90फीसदी मजदूर ठेका मजदूर है, और कुछ फैक्ट्रियों में 100फीसदी ठेका मजदूर है। नए श्रम कानून में तो स्थाई मजदूरों को भी ठेका मजदूर जैसा ही असुरक्षित किया जा रहा है। ठेका प्रथा के मुद्दे पर जिस संघर्ष की जरुरत है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संस्थाएं उसपर वह ध्यान नहीं दे रही है। तीसरी बात, अभी यूनियन पंजीकरण के बाद काफी जल्द ही यूनियन की स्वतंत्रता और जुझारूपन खत्म हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है की प्लांट के मजदूर नेतृत्व को यूनियन चलाने के लिए जरुरी ज्ञान और ट्रेनिंग नहीं है। नेतृत्व को मैनेजमेंट प्रभावित कर लेता है। अभी प्लांट में हड़ताल करना भी कठिन हो गया है क्योंकि एक ही कंपनी के कई प्लांट है और एक ही पार्ट्स कई कंपनी तैयार करती है। ऐसी स्थिति में प्लांट के मजदूर नेतृत्व को ट्रेड यूनियन अधिकारों की जानकारी देना और संघर्ष का तरीका तय करना आवश्यक हो गया है। हमारी एक और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि सभी मजदूर संगठन सिर्फ संकट के समय एकसाथ आते है, उसके बाद संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कोई दूरगामी योजना नहीं रहता है। मगर पूंजीपतियों के पास दूरगामी योजना होती है। आज श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ एकसाथ लड़ने की सख्त जरुरत है, इसके लिए 2 सितम्बर को देशव्यपी हड़ताल का आह्वन है। साथ हीं सामूहिक दूरगामी योजना चाहिए।

हरियाणा

बैक्सटर यूनियन के प्रधान से बातचीत
"कठिनाई के वावजूद हम यूनियन और संघर्ष को जिन्दा रखेंगे"

अमरीकी फर्मास्यूटिकल कंपनी बैक्सटर के मानेसर प्लांट में यूनियन गठन के अधिकार के सवाल पर पिछले दो साल से मजदूर लगातार संघर्षरत हैं। मजदूरों द्वारा 2013 में यूनियन बनाने की पहल लेने के बाद 50 से ज्यादा सक्रिय मजदूरों को महाराष्ट्र ट्रान्सफर कर दिया गया था। मजदूरों ने 18 फरवरी, 2014 को हड़ताल किया तो उनकी वापसी हुई। चार चार बार यूनियन पंजीकरण की फाइल रिजेक्ट हुई। यूनियन नेतृत्व सहित 18 मजदूर को निलंबित किया गया। फिर 27 मई 2014 से तीन महिने 10 दिन तक प्लांट बंद रहा। इतने संघर्षों के बाद अंत में यूनियन पंजीकृत हुई और 10 जून 2014 को हड़ताल के दौरान ही गेट पर यूनियन का झंडा लगा। अभी यूनियन के प्रधान, महासचिव सहित 22 मजदूर बर्खास्त हैं, मगर संघर्ष अभी भी जारी है। 10 जून को काफी उत्साह के साथ अन्दर और बाहर के मजदूरों ने एकसाथ कंपनी गेट पर पहला झंडा दिवस मनाया। गुड़गांव से बावल तक मारुति सुजुकी पॉवरट्रेन, मित्सुवीसी, एंड्यूरेंस, दिगानिया, ए जी, हरसोरिया, एशियन कलर कोटेड, बजाज मोटर्स आदि यूनियनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

यूनियन के प्रधान मंजीत सिंह अभी वर्खास्त होने के वावजूद पूरे समय यूनियन गतिविधियों को दिशा देने का काम ही कर रहे हैं। झंडा दिवस के अवसर पर मेहनतकश पत्रिका के साथ उन्होंने यूनियन और संघर्ष की स्थिति पर बातचीत की।

मेहनतकश पत्रिका : *लम्बे संघर्ष के बाद एक साल पहले जब लगभग पूरे यूनियन बॉडी को बाहर रख कर बैक्सटर के मजदूर दोबारा प्लांट के अन्दर गए थे, तब यूनियन जिन्दा रखना ही एक बड़ी चुनौती थी। इस एक साल में अन्दर और बाहर के मजदूरों के बीच तालमेल और यूनियन की प्रक्रिया कैसी रही?*

मंजीत : बर्खास्त रहने के वावजूद हमारे साथ प्लांट के अन्दर के मजदूरों का संपर्क बना रहा। मैनेजमेंट के दवाव के वावजूद अन्दर से मजदूरों ने यूनियन के कोष में हर महीना पैसा दिया। हम 4–5 लोग बाहर पूरे समय यूनियन और कानूनी प्रक्रिया की जिम्मेदारी निभाने के लिए और किसी भी संकट में गेट पर मौजूद रहने के लिए तैयार हैं, यह भरोसा अन्दर के मजदूरों को मिला। बर्खास्तगी के बाद भी संघर्ष में हमारे टिके रहने के कारण मनैजमेंट पर लगातार दवाव रहा। हड़ताल के दौरान मजदूरों का जो वेतन 10 हजार रुपये था, आज 15–16 हजार रुपये हो गया है। मैनेजमेंट कुछ दिन पहले तक भी यूनियन को कोई स्वीकृति नहीं दे रहा था, मगर अभी उसने हमें कंपनी गेट पर झंडा दिवस मनाने और इसके लिए 45 मिनट उत्पादन स्थगित रखने की सहमति दी।

मेहनतकश: *अभी यूनियन के पास क्या क्या मुद्दे हैं?*

मंजीत : 2013 में हमने सेटलमेंट के लिए माँग पत्र दिया था, मगर उसपर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। श्रम विभाग की ओर से भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही। मनैजमेंट अपनी मर्जी के अनुसार वेतन में सालाना वृद्धि करती है। वह भी 'परफॉरमेंस' के नाम से अलग अलग मजदूरों के लिए अलग है, और दलाली के लिए ज्यादा पैसा दिया जाता है। सामूहिक मांगपत्र पर समझौता, अन्दर काम का माहौल ठीक रखना, उत्पादन कम होने के बहाने मजदूरों पर कोई भी आक्रमण न होने देना, यूनियन के तरफ से कानूनी लड़ाई जारी रखना, यूनियन के काम को चलाने के लिए एक टीम और कोष का गठन हमारी प्राथमिकता है। और, 22 बर्खास्त मजदूरों और 3 निलंबित मजदूर को प्लांट में वापस लेने का संघर्ष जारी रखना तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मजदूर इस पर सहमत हैं कि हम कठिनाई के वावजूद बैक्सटर यूनियन और संघर्ष को जिन्दा रखेंगे।

मेहनतकश : *आप इस इलाके में मजदूर आन्दोलन के सामने क्या समस्या देखते हैं?*

मंजीत : बड़ी कंपनियों के स्थाई मजदूर अभी जुझारू नहीं रहे। वेतन बढ़ने के साथ ही इएमआई, लोन, बच्चों के पढाई आदि को लेकर व्यस्त हैं। बाकि मजदूरों के संघर्ष में उनका सहयोग नहीं रहा। दूसरी तरफ, आम मज़दूर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ता है। परिवार उन पर निर्भर है। वह ज्यादा दिन मालिक का आक्रमण झेल नहीं सकता। वर्खास्त मजदूरों के लिए लड़ाई जारी रखना और भी कठिन होता है। अगर प्लांट के अन्दर के मजदूर हमारा साथ नहीं देंगे तो मेरे लिए भी लम्बे समय तक संघर्ष जारी रखना कठिन होगा। साथ में प्लांट के अन्दर कुछ मजदूरों को मैनेजमेंट अपने पक्ष में ले लेता है जो आन्दोलन में कमजोरी पैदा करता है। साथ ही ठेकाप्रथा एक चुनौती है। ठेका मजदूर कम वेतन और कम सुविधा में ज्यादा उत्पादन दे देता है। इससे यूनियन और स्थाई मजदूरों पर दवाव बनता है।

युनिप्रोडक्ट में यूनियन के लिए संघर्ष जारी है

बावल स्थित युनिप्रोडक्ट कंपनी में श्रमिकों को पिछले फरवरी माह से यूनियन गठन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद काफी कठिनाईयों की सामना करना पड़ रहा है। करीब 300 स्थाई मजदूर फैक्ट्री में कार्यरत हैं। इनमें से 240 मजदूरों के हस्ताक्षरों के साथ यूनियन की फाइल जमा हुई थी। मगर कंपनी प्रबंधन के इशारे पर 10 मजदूर, जो इन 240 के बाहर है, ने यूनियन बनाने की प्रक्रिया को चैलेंज किया और कोर्ट में केस किया। रेवाड़ी सिविल कोर्ट ने इकतरफा सुनकर यूनियन बनाने की प्रक्रिया पर ही स्थगनादेश जारी कर दिया। यहाँ साफ तौर पर कंपनी प्रबंधन और न्यायपालिका का गठजोड़ दिखता है। मगर यूनियन बनाने के लिए मजदूर आगे की कानूनी और जमीनी संघर्ष की राह पर हैं।

हरियाणा

"उत्पादन नहीं है" - मजदूरों पर हमले का नया तरीका

अमित

पिछले कई महीनों से धारुहेड़ा के ऑटोफिट प्लांट में 'उत्पादन कम है'। खास कर पिछले दिसंबर से, जब श्रमिक यूनियन के प्रधान जगदीश और उपप्रधान रंजन झा को बर्खास्त कर दिया गया और प्लांट में श्रमिक दोबारा हड़ताल करने की स्थिति में थे। आज की स्थिति ऐसी है कि बी व सी शिफ्ट बंद है, सिर्फ ए और जनरल शिफ्ट चल रहा है। प्लांट में मजदूरों की जबरदस्त एकता के कारण अभी तक किसी भी स्थाई या ठेका मजदूर को नौकरी से निकालना संभव नहीं हुआ। मगर एक शॉप से मजदूरों को दूसरे शॉप में 'एडजस्ट' किया जा रहा है। प्रबंधन की तरफ से मजदूर नेतृत्व को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी वह मजदूरों को कोई भी सुविधा देने की स्थिति में नहीं है और न ही बर्खास्त नेताओं को अन्दर लिया जाएगा। ठेका मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी या स्थायीकरण रुका हुआ है। ओवरटाइम और प्रोडक्शन इंसेंटिव बंद होने के कारण मजदूरों को वेतन भी कम मिल रहा है। मजदूरों में काफी गुस्सा है, मगर उत्पादन कम होने के कारण हड़ताल करके भी प्रबंधन पर दवाव पैदा करना अभी कठिन है।

अब सवाल यह है कि प्रोडक्शन गया कहाँ? ऑटोफिट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की एक प्रमुख वेंडर है। दोनों मालिकों के बीच रिश्तेदारी भी है। पिछले तीन दशक से हीरो के लिए व्हील और सीट यहाँ बनता है। हीरो में प्रोडक्शन अभी तेज है। तो फिर?

बात यह है कि अभी एक वेंडर कंपनी के कई सारे प्लांट हैं। जैसे ऑटोफिट ने मानेसर में नया प्लांट शुरू किया। हरिद्वार में भी हीरो प्लांट के बगल में नया प्लांट होगा। और हीरो मोटोकॉर्प जैसी मदर प्लांट पुर्जे कई सारे वेंडर कंपनियों से लेती है। जैसे हीरो अभी ऑटोफिट के साथ साथ व्हील रॉकमैन से और सीट मिनाक्षी से ले रहा है। महत्वपूर्ण ये है की हीरो, मिनाक्षी, ऑटोफिट, रॉकमैन सभी के मालिकों के बीच पारिवारिक रिश्तेदारी भी है। अब किसी एक प्लांट में मजदूर आन्दोलन करें तो मालिक उस प्लांट का उत्पादन दूसरे किसी प्लांट में शिफ्ट कर देता है। जैसे ऑटोफिट धारुहेड़ा का उत्पादन ऑटोफिट मानेसर में, क्योंकि मानेसर प्लांट में कोई श्रमिक यूनियन नहीं है। मदर कंपनी किसी एक पुर्जे के उत्पादन का एक हिस्सा दूसरे वेंडर कंपनी को दे सकती है, और एक ही पुर्जा बनाने वाली दो वेंडर कंपनी भी 'जरुरत' पड़ने पर, आपस में 'एडजस्ट' कर लेती है। इसे धारुहेड़ा स्थित ऑटोफिट, रिको, मानेसर स्थित अस्ति, नरसिंगपुर स्थित बजाज मोटर्स आदि सभी कंपनियों के मजदूर संघर्ष के दौरान देख सकते हैं।

इसलिए अभी किसी एक प्लांट में कुछ समय के लिए उत्पादन बंद करके मालिक पर दवाव बनाना कठिन हो रहा है। जिन प्लांटों में मजदूर एकजुट है, उधर मजदूर एकता को तोड़ने के लिए उत्पादन कम किया जा रहा है। खास कर हड़ताल की सम्भावना पर या सेटलमेंट से पहले प्रबंधन द्वारा ऐसा तरीका अपनाना अभी आम बात है। सवाल है कि मजदूर फिर कैसे लड़ें? एक तो, प्रभावी आन्दोलन के लिए मजदूर को अभी लम्बे हड़ताल की तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरे, इस बात को भी समझना होगा की एक प्लांट के अन्दर एकता कायम करना काफी नहीं है। एक कंपनी के सभी प्लांटों के बीच और एक मदर प्लांट के पास पुर्जा सप्लाई करने वाले सभी प्लांटों के बीच एकता जरूरी है। तीसरे, क्षेत्रीय आधार पर, जैसे गुड़गांव से बावल तक, और पूरे उद्योग के आधार पर, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग में एकता कायम करना जरूरी हो चुका है।

जब सभी मालिक प्रतिस्पर्धा रहने के वावजूद मजदूर आन्दोलन को तोड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, तब मजदूरों के बीच बड़े पैमाने पर एकजुटता और दूरगामी योजना समय की मांग है। उम्मीद है, इस क्षेत्र के अनुभवी मजदूर इस कार्य में सफल होंगे।

ओरिएंट क्राफ्ट फैक्ट्री में फिर से फूट पड़ा मजदूरों का गुस्सा

गारमेंट उद्योग का स्थाई संकट हुआ उजागर

पिछले 20 जून को गुड़गांव हीरो होंडा चौक के पास स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैक्ट्री में गारमेंट मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। उस दिन सुबह पवन कुमार नाम का एक मजदूर प्लांट के अन्दर लिफ्ट में बिजली का करंट लगने से बुरी तरह घायल हुआ। मजदूरों की कोशिश से ही उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी बीच यह खबर फैल गयी की मजदूर की मौत हो गई। फिर तो करीब 3000 मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्लांट के फैब्रिक स्टोर में आग लगा दी और कंपनी के बाहर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मजदूरों को हटाया। इधर ओरिएंट क्राफ्ट के बाकि प्लांटों में भी उत्पादन बंद हो गया। बाद में प्रबंधन द्वारा मजदूरों के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा करना आदि धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया गया।

ओरिएंट क्राफ्ट के इस प्लांट में ही 20

मार्च, 2012 को ठेकेदार द्वारा एक मजदूर पर हमले के बाद मजदूरों का गुस्सा ऐसे ही फूट पड़ा था और तोड़फोड़ व आगजनी की घटना हुई थी। 29 मार्च 2014 को ओरिएंट क्राफ्ट के गुड़गांव सेक्टर–18 स्थित प्लांट में बिजली के करंट से एक मजदूर की मौत के बाद भी मजदूरों का आक्रोश सामने आया था। इस साल 12 फरवरी को उद्योग विहार में प्रबंधन के गुर्गे द्वारा पिटाई के बाद एक गारमेंट मजदूर की मौत की खबर फैलने पर मजदूरों ने करीब 14 प्लांटों में आगजनी की थी।

ये सभी घटनाएँ गुड़गांव गारमेंट क्षेत्र में तीव्र शोषण के कारण मजदूरों में जमा हुए रोष को दिखाता है। ओरिएंट क्राफ्ट जैसे भारत के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी, जिसका सालाना टर्न–ओवर 1500 करोड़ है, में भी मजदूरों के नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, वे 200 रुपयें दिहाड़ी या न्यूनतम मासिक मजदूरी पाते हैं। काम के दौरान दुर्घटनाएं होती रहती है। मजदूरों को संगठित होने का कोई अधिकार नहीं है। यूनियन बनाने की पहल का भी प्रबंधन ने दमन किया।

ऐसी स्थिति में मजदूरों के गुस्से को 'लॉ एंड ऑर्डर' की समस्या के हिसाब से देखना और पुलिस बल द्वारा उसका दमन करना सच्चाई की अनदेखी है। अगर शोषण–दमन की स्थिति नहीं बदली तो गुड़गांव का पूरा गारमेंट क्षेत्र ऐसे ही बारूद का स्तूप बना रहेगा।

राजस्थान

निजीकरण और सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक–2015 के खिलाफ

रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल

सुमित

राजस्थान की वसुन्धरा राजे सरकार द्वारा रोडवेज को निजीकरण की खाई में धकेलने के के खिलाफ रोडवेजकर्मी विगत 30 अप्रैल को हड़ताल पर रहे।

उल्लेखनीय है कि राज्य की भाजपा सरकार ने राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण अधिनियम–2015 विधान सभा में पारित कर दिया है। इसके माध्यम से राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करके निजी बस संचालकों के माफिया की बसों को बस स्टैण्ड से रोडवेज की बसों के साथ चलाने और एवं रोडवेज बस अड्डों की बेशकीमती जमीनें आने–पौने दाम में देने की राह तैयार कर दी है। सरकार की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी।

इस बीच मोदी सरकार भी जनता के खिलाफ एक और हमला बोलते हुए सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक–2015 संसद में पेश करने की तैयारी में थी। इस विधेयक में खतरनाक किस्म के प्रभाव इस प्रकार हैं– (1) देश के विभिन्न राज्यों के स्थापित 54 रोडवेज उद्योगों का जिनमें करीब 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं धीरे–धीरे निजीकरण हो जायेगा। (2) उद्योगपतियों के लिए अपनी बड़ी बड़ी परिवहन कंपनियां चलाने का रास्ता खुल जायेगा। (3) मार्गों का वितरण नीलामी के आधार पर होगा, जिसमें रोडवेज और

छोटे बस संचालक बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पायेंगें। (4) परिचालकों के बिना बसों का संचालन किया जायेगा। (5) दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों के रख रखाव एवं मरम्मत का कार्य उनकी निर्माता कम्पनियों के सर्विस सेन्टर पर ही करवाना होगा। (6) ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी संचालन की बड़ी–बड़ी कंपनियां बनेगी जिसकी वजह से निजी ऑटो रिक्शा और कार चलाने वाले लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर आ जायेंगें।

केन्द्र तथा राज्य सरकार के इस षडयंत्र के खिलाफ सभी केन्द्रीय रोडवेज मजदूर संगठनों ने 30 अप्रैल 2015 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वाहन किया था।

भारतीय जनमानस के ऊपर मोदी सरकार द्वारा लगातार हो रहे पूंजीवादी हमलों की कड़ी में ये एक और कड़ी जुड़ गयी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आर.टी.डी.सी. की

संपत्तियां निजी हाथों में

राजस्थान के सभी 2082 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। अब इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टॉफ निजी क्षेत्र का होगा। डॉक्टरों और नर्सों की कमी का रोना रो रही सरकार ने नयी भर्ती करने से बचने के लिए यह फैसला किया है। पहले से स्वास्थ्य बजट में कटौती और अब बदहाल स्वास्थ्य सेवा की शिकार तथा निजी अस्पतालों के शिकंजे में फंसी आम जनता का स्वास्थ्य ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण तथा दूर–दराज वाले इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।

यही नहीं आर.टी.डी.सी. की संपतियों को भी निजी हाथों में सौपा जा रहा है। तथा कुछ संपतियों को निलाम भी किया जायेगा। इस प्रकार धीरे–धीरे सभी सार्वजनिक उपक्रमों को जानबूझ कर घाटे में रखने के बाद सरकार उद्धार करने के नाम पर उन्हें निजी हाथों सौंप रही है।

यही है भारत सरकार का 'मेक इन इंडिया प्रोग्राम।'

हरियाणा

मुंजाल किरिऊ, मानेसर के यूनियन चुनाव

संघर्षरत मजदूरों की जीत

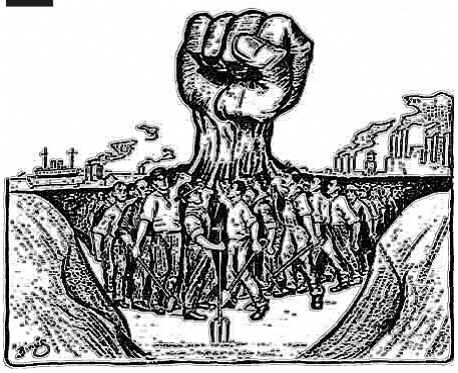

मानेसर स्थित मुंजाल किरिऊ कंपनी में प्रबन्धन की साजिशों को धता बताते हुए 25 जून को श्रमिक यूनियन के चुनाव में बर्खास्त मजदूर नेता राकेश यादव के नेतृत्व में नई बॉडी चुनकर आई। प्रधान के पद पर राकेश दोबारा चुने गये और महासचिव पद पर निरंजन निर्वाचित हुए।

इसके पहले तीन महीने की हड़ताल के बाद बर्खास्त 9 मजदूर नेता और निलंबित 20 मजदूरों को छोड़कर जब कम्पनी के मजदूर काम पर लौटे थे, तब यूनियन के भविष्य को लेकर संशय था। पिछले कुछ महीनों में प्रबंधन ने भी कुछ मजदूरों को सामने रखकर दलाल यूनियन बनाने की कोशिश की। मगर मज़दूरों की एकजुट प्रयास से यूनियन तोड़ने के लिए प्रबंधन की सभी साजिशें नाकामयाब हुई।

सुजुकी मोटरसाइकिल में आयी नई यूनियन बॉडी

पिछले 25 मई को खेड़की दौला स्थित सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्लांट में श्रमिक यूनियन का शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में 3 पैनेल और 4 निर्दलीय लेकर कुल 24 उम्मीदवार थे। चुनाव में प्रधान पद पर अनिल कुमार पुनर्निर्वाचित हुए। उपप्रधान पद पर अमित कुमार, महासचिव पद पर प्रक्षित, सह सचिव पद पर राजेंद्र कुमार, संगठन सचिव पद पर गुलशन कुमार कार्यालय सचिव पद पर रंजित सिंह और कोषाध्यक्ष पद पर सुभाष चन्द्र निर्वाचित हुए।

उम्मीद है कि नई यूनियन बॉडी प्लांट के अन्दर और बाहर मजदूर एकता और संघर्ष को आगे बढ़ाने में मददगार होगी।

उत्तराखण्ड

यूनियन बनाने का दंश ऑटोलाइन के निलम्बित 13 श्रमिक संघर्ष की राह पर

रुद्रपुर। सिडकुल स्थित टाटा वेण्डर कम्पनी ऑटो लाइन में यूनियन बनने और माँगपत्र देने से खफा प्रबन्धन ने यूनियन की पूरी बॉडी सहित 13 मज़दूरों को निलम्बित कर दिया। इसके विरोध में निलम्बित मज़दूर स्थानीय डीएम कार्यालय पर लगातार धरने पर बैठ गये हैं। कम्पनी के तीनों प्लाण्टों के बाकी श्रमिक कम्पनी में काम के साथ शिफ्ट के अनुसार धरने में शामिल हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि यूनियन बनाने पर तमाम प्रहारों के बावजूद ऑटो लाइन के मज़दूर अपनी यूनियन पंजीकृत कराने में सफल रहे। फिर प्रबन्धन को अपनी 18 सूत्रीय माँगपत्र दी। प्रबन्धन ने यूनियन छोड़देने के एवज में सभी माँगें मान लेने का टुकड़ा फेंका, लेकिन वे यूनियन को डिगा नहीं सके। सो प्रबन्धन ने दमन की राह पकड़ी और श्रमिकों पर झूठे आरोप मढ़कर निलम्बित कर दिया। श्रम विभाग वार्ताओं की कवायद कर रहा है। इस बीच यूनियन अध्यक्ष पर कार्य से वापस लौटते समय हमला भी हुआ, लेकिन इस मामले में प्रशासन मौन है।

फिलहाल मज़दूरों का संघर्ष जारी है। (07/07/2015)

मुस्को के 2 मज़दूर बर्खास्त मज़दूरों ने दिया आन्दोलन का नोटिस

रुद्रपुर। टाटा वेण्डर महेन्द्रा यूजिन (अब सीआईई) ने श्रमविभाग में लिखित समझौते के बावजूद श्रमिक नेता हेम चंद व दीपक कार्की को बर्खास्त कर दिया। इससे प्लाण्ट के खफा मज़दूरों ने प्रबन्धन को टूलडाउन का नोटिस दे दिया है। बदले में प्रबन्धन एक और श्रमिक दीपक प्रसाद को कारण बताओ नोटिस देकर निलम्बन की तैयारी में है।

ज्ञात हो कि महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के इस सिस्टर कम्पनी के क्षेत्र में दो प्लाण्ट हैं। सिडकुल प्लाण्ट के मज़दूरों ने नौ माह पूर्व अपना माँग पत्र दिया था। तब प्रबन्धन ने दमन के तौर पर दोनो को निलम्बित कर दिया था। और सात माह की कथित जाँच के बाद अब बर्खास्त कर दिया।

गौरतलब है कि दीपक कार्की पर जिस मशीन से उत्पादन कम देने का आरोप है, प्रबन्धन की डायरी के अनुसार उसने उस दिन वह मशीन चलाई ही नहीं थी। हेम चंद द्वारा कथित रिजेक्शन की बात भी सिद्ध नहीं हुई क्योंकि कम्पनी में प्रायः प्रबन्धन के रिजेक्शन की बात पर मज़दूर उसका रीवर्क कर देते हैं। जैसा कि हेम ने किया।

इन नंगी सच्चाइयों श्रम विभाग में वापस लेने की लिखित सहमति के बावजूद श्रमविभाग से लेकर प्रशासन तक केवल टालमटोल करता रहा है। जिससे मज़दूरों को आन्दोलन की तैयारी में जुटना पड़ रहा है।

माँगपत्रों पर कम्पनियों में संघर्ष जारी

पारले प्रबन्धन का अड़ियल रुख जारी

रुद्रपुर। पारले बिस्किट कम्पनी की यूनियन पारले मज़दूर संघ के 7 सूत्री माँगपत्र पर प्रबन्धन का अड़ियल रुख जारी है। उसने वार्ता करने से इंकार कर दिया। एएलसी ने केवल एक वार्ता कराकर फाइल डीएलसी कार्यालय भेज दी, तो डीएलसी ने डेढ़ माह बाद की तारिख देकर अपनी पक्षधरता स्पष्ट कर दी। उधर प्रशासन भी टालमटोल ही कर रहा है।

ज्ञात हो कि कम्पनी में चार साल पहले जब यूनियन बनी, तबसे प्रबन्धन यूनियन तोड़ने के लिए सक्रिय है और मज़दूरों का लगातार दमन करता आ रहा है। लेकिन मज़दूर अपनी एकता बनाने के साथ लगातार संघर्ष करते रहे।

तमाम दिक्कतों के बावजूद मज़दूरों के हौसले बुलन्द हैं और वे धैर्य के साथ आर–पार के लिए कमर कसे हुए हैं।

ऑटोकॉम में संशय

रुद्रपुर। टाटा ऑटोकॉम में यूनियन के माँग पत्र पर संशय कायम है। टाप मैनेजमेण्ट के दौरे लग रहे हैं और वह बीएमएस की सम्बद्धता छोड़ने का दबाव बना रहा है। अभी मनोवैज्ञानिक रस्साकसी चल रही है। पदाधिकारियों के विभाग बदल कर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन नवगठित यूनियन का नेतृत्व सूझबूझ के साथ कदम बढ़ा रहा है।

वोल्टास कम्पनी में टूलडाउन आन्दोलन

रुद्रपुर। सिडकुल स्थित वोल्टास के मज़दूर अपनी चार सूत्रीय माँग लेकर संघर्ष की राह पर हैं। साढ़े सात माह बीतने और प्रबन्धन के नकारात्मक रवैये के खिलाफ मज़दूर कालाफीता बाँधने, मौन ब्रत आदि तरीकों से गुजरते हुए अभी आधे घण्टे का टूलडाउन आन्दोलन चला रहे हैं। समझौता 1 जनवरी से लागू होना था।

उल्लेखनीय है कि यूनियन ने पिछले 20 नवम्बर को अपना माँगपत्र दिया था जिसमें वेतन सहूलियतों में वृद्धि के साथ सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख है। (07/07/201515)

टाटा व ब्रिटानिया में वार्ता जारी

रुद्रपुर। टाटा मोटर्स में त्रिपक्षीय वेतन समझौते के लिए फिलहाल वार्ता शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रबन्धन चार साल का समझौता चाहता है, जबकि यूनियन तीन साल का। अभी वार्ता इस विंदु पर ही अटकी हुई है।

उधर ब्रिटानिया प्रबन्धन दो यूनियनों के होने का लाभ उठा रहा है। हो सकता है कि यूनियनें संयुक्त समझौते से हल निकालें?

रिद्धि सिद्धि में गतिरोध बरकरार

रुद्रपुर। रिद्धि सिद्धि कम्पनी में प्रबन्धन के अड़ियलपन से माँगपत्र पर कोई प्रगति नहीं हुई है। इस बीच निलम्बित 4 श्रमिकों और जाँच झेल रहे 6 श्रमिकों की कथित जाँचें एक माह से खत्म होने के बावजूद प्रबन्धन जानबूझकर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। क्योंकि प्रबन्धन के लिए यह एक हथियार है। यूनियन भी इसे समझकर कदम बढ़ा रही है।

मित्तर फॉस्टनर में समझौता

लम्बे संघर्ष के बाद मित्तर फॉस्टनर श्रमिक समझौते के बाद दुखी मन से 5 बर्खास्त श्रमिकों के हिसाब की कीमत पर दो निलम्बित श्रमिकों की कार्यबहाली के साथ काम पर चले गये।

उत्तराखण्ड

मज़दूरों का डीएम कार्यालय पर सामूहिक धरना

ये मनमानी नही चलेगी

रुद्रपुर, 9 जून। सिडकुल की पाँच कम्पनियों के श्रमिकों ने लम्बे समय से जारी दमन–उत्पीड़न के खिलाफ सामूहिक रूप से स्थानीय कलक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना देकर अपना आक्रोश प्रकट किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवैध रूप से निकाले गये मज़दूरों की कार्यबहाली, माँगपत्रों के निस्तारण, शोषण व दमन खत्म करने आदि की माँग की।

इस अवसर पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों की भारी आबादी आज बेहद मामूली दिहाड़ी पर 12–12 घण्टे खटने को मजबूर है। जहाँ भी मजदूरों ने हक की आवाज उठाई वहीं दमन शुरू हो जाता है। यूनियन बनाना अपराध बन गया है। प्रबन्धन जब चाहे मज़दूरों को निकाल देता है और श्रम विभाग से लेकर पुलिस व प्रशासन तक मालिकों की ही भाषा बोलते हैं।

पारले मजदूर संघ के प्रमोद तिवारी ने कहा कि पारले कम्पनी में साढ़े तीन साल पहले यूनियन बनी तभी से शोषण जारी है। अबतक करीब ढ़ाई सौ स्थाई–अस्थाई मज़दूर निकाले जा चुके हैं। एसएसपी और श्रम विभाग की प्रबन्धन के खिलाफ रिपोर्टों के बावजूद न्याय मिलने की जगह दमन ही बढ़ा है।

रिद्धि सिद्धि कर्मचारी संघ के दरपान सिंह खाती ने कहा कि कम्पनी में विगत डेढ़ साल से माँगपत्र पर औद्योगिक विवाद कायम है और प्रबन्धन तरह–तरह से श्रमिकों का उत्पीड़न कर रहा है। पिछले नौ माह से यूनियन पदाधिकारियों सहित 10 श्रमिकों का जाँच के बहाने उत्पीड़न जारी है, चार श्रमिक नौ माह से निलम्बित हैं।

मित्तर फॉस्टनर कम्पनी के सुदर्शन कुमार शर्मा ने बताया कि वेतन बढ़ोत्तरी और न्यूनतम सुविधाओं की माँग करने पर प्रबन्धन ने अवैध रूप से चार श्रमिकों की सेवा समाप्त कर दी और दो श्रमिकों को निलम्बित कर दिया।

महेन्द्रा यूजिन/सीआईआई कम्पनी के श्रमिक प्रतिनिधि हेम चंद ने बताया कि श्रमिकों ने विगत साढ़े नौ माह पूर्व माँगपत्र दिया तो वहाँ दमन बढ़ गया। श्रमिक प्रतिनिधियों सहित दो श्रमिक अवैध रूप से विगत नौ माह से निलम्बित हैं। एएलसी एसडीएम केवल आश्वासन दे रहे हैं।

वोल्टास इम्पलाइज यूनियन के नन्दलाल ने कहा कि यूनियन विगत साढ़े छह माह से अपने माँगपत्र को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला।

टाटा मोटर्स लि. श्रमिक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद आर्य ने समर्थन देते हुए कहा कि आज सभी कम्पनी के मजदूरों को एकजुट होने की जरूरत है, ऐसे में पाँच कम्पनियों के मजदूरों का यह सामूहिक धरना महत्वपूर्ण है जो हमारी एकता को और आगे बढ़ाएगा। ब्रिटानिया कर्मकार यूनियन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी ने एकता बनाने पर जोर दिया। सीपीआई के जिलामंत्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि शोषण के खिलाफ एकजुट संघर्ष ही रास्ता है।

मजदूर सहयोग केन्द्र के कुन्दन सिंह ने कहा कि आज मज़दूर आबादी की एकता कमजोर हुई है जिससे मालिक और ज्यादा हमलावर हुए हैं। सारे कानून मालिकों की जेब में हैं। मुकुल ने लम्बे संघर्षों के दौरान हासिल अधिकारों को छीने जाने की चर्चा करते हुए बताया कि मजदूर आबादी को नए व जुझारू संघर्ष के लिए कमर कसना होगा। पूँजी के मुस्तरका हमले का श्रम की एकजुट ताकत से जवाब देना होगा।

संयुक्त मोर्चा गठित

इलाके की विभिन्न यूनियनों व संगठनों ने 'सिडकुल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा' गठित किया है। टाटा यूनियन के दिनेश चंद आर्य अध्यक्ष और एचपी के नरेन्द्र सनवाल महामंत्री बने हैं। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों के साथ एक सलाहकार मण्डल भी बना है।

संविदा शिक्षक : माँगा हक़, मिली जेल

खेमकरण 'सोमन'

सितम्बर 2014 में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किये गये सैकड़ों संविदा शिक्षक इन दिनों बेरोजेगारी की भयंकर मार से गुजर रहे हैं और संघर्ष की राह पर हैं। विगत 19 मई से देहरादून में शान्तिपूर्ण धरना प्रदर्शन/क्रमिक अनशन करने को मजबूर हुए। 2 जून को प्रदेश सरकार तक बात पहुँचाने वे जब जुलूस की शक्ल में सचिवालय जा रहे थे, सरकार ने अपने दमनपूर्ण नीति का सहारा लेकर उन्हें जेल में ठूंस दिया।

इससे पूर्व 1 फरवरी 2015 को अस्तित्व में आये राजकीय महाविद्यालय संविदा (2014) शिक्षक संघ ने संविदा शिक्षकों को एकजुट करने का सार्थक कार्य किया और यह समझ बनाई कि बिना एकशक्ति हुए इस बेरोजगारी से मुक्ति और महाविद्यालय में सेवा विस्तार सम्बन्धी कार्य आसान नहीं हैं। इन्हीं प्रयासों के कारण महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने निदेशक उच्च शिक्षा को संविदा शिक्षकों की आवश्यकता व सेवा विस्तार के सम्बन्ध में पत्र लिखा लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे भी तवज्जो नहीं दिया।

ध्यातव्य है कि राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार यूजीसी नेट/यूसेट/पीएचडी (2009 रेग्यूलेशन) पास अर्हता धारकों की कमी का रोना रोती रही है। जबकि यूसेट परीक्षा में पास हुए विभिन्न विषयों के 2000 से भी अधिक अहर्ताधारी शिक्षित बेरोजगार हैं। फिलहाल, संविदा शिक्षक अब पूरी तरह से तराई, भाबर और पहाड़ के बेरोजगारों को एक करने और बड़े आंदोलन की तैयारी में है।

माँगपत्रों पर समझौता

- **शिरडी इण्डस्ट्रीज** में एक वर्ष के समझौते के तहत वेतन में 2000 से 2300 रुपये तक की वृद्धि, 5 लाख का दुर्घटना बीमा व 2016 में ट्रेनी श्रमिकों को स्थाई करने की सहमति बनी।
- **परफैटी** में तीन साल के वेतन समझौते के तहत 12100 रुपये की सहमति बनी, जिसमें इस साल 70 फीसदी व अगले दो साल 15–15 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी।
- **टीवीएस लूकाच** में चार साल के लिए 6200 (पहले दोसाल 25–25 सौ व अन्तिम दो साल 11–11 सौ) रुपये, डबल ओवरटाइम व छुट्टियों में बृद्धि का समझौता हुआ।

दिल्ली सफाई कर्मियों का आन्दोलन : जवाब दर सवाल है

दीप्ती

दिल्ली। भाजपा के 'स्वच्छ भारत' और आम आदमी पार्टी के 'साफ संचालन' पर प्रहार करते हुए पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, पटपड़गंज आदि इलाको में सफाई कर्मचारी मार्च के बाद जून मे दोबारा हड़ताल पर चले गये। इससे पूर्वी दिल्ली की पूरी सफाई व्यवस्था चरमरा गई। वेतन को लेकर नगरनिगम और दिल्ली सरकार के बीच टकराव जारी है।

महीनो से ना मिले वेतन और स्थाई नौकरी की माँग उठाते हुए कर्मचरियों ने कूड़ा उठाने से इनकार करने के साथ साथ सड़को पर कूड़ा फेंका जिससे मुद्दा और गरमाया। हालांकी 17 यूनियन और लगभग 12000 कर्मचारियों ने ये कार्य किया, लेकिन कर्मचारियो की एक बड़ी संख्या अपंजीकृत है और उनकी चर्चा इस आंदोलन मे कही गायब सी है। साथ ही केन्द्रीय और राज्य सरकार की इस अराजकता और आपसी धींगामुश्ती का काँग्रेस पूरा इस्तेमाल कर रही है। आंदोलन मे अपना सहयोग देते हुए राहुल गाँधी कर्मचारियो के बीच दिखाई पड़े और सरकार की जिम्मेदारी की बात उठाई। हलांकि ये सभी रंगे सियार हैं।

समाचार लिखने तक मजदूरों की हड़ताल जारी है। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का यह आन्दोलन असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की बुरी हालात को सामने लाया है।

जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन में हुआ अमानवीय हादसा

रोबोट ने की हत्या, जिम्मेदार कौन?

फ्रैंकफर्ट (जर्मनी)। फ्रैंकफर्ट से करीब 100 किमी दूर बौनाटाल स्थित कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन के संयंत्र में एक रोबोट ने वहां काम कर रहे 22 साल के एक श्रमिक को अचानक दबोच लिया और धातु की प्लेट से कुचलकर मार डाला।

संयंत्र में यह हादसा उस वक्त हुआ, जब वह कर्मचारी और उसके कई साथी उस रोबोट को दुरुस्त करने में लगे हुए थे। घटना 29 जून की है लेकिन कंपनी ने इसकी सूचना एक जूलाई को दी। संयंत्र के प्रवक्ता हाइको हिलविग इसे मानवीय चूक बताते हैं।

कंपनी अपने प्रोडॅक्शन में इंसान के साथ कुछ रोबोट का इस्तेमाल करती है। इसका मुख्य काम कलपुर्जो को जोड़ने का है, जो कार की असेंबली प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है।

इस घटना से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृतृम मानव) फिर से चर्चा के दायरे में है।

पिछले साल टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने कहा था कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बेहद सावधानी बरतनी होगी। ये परमाणु हथियारों से अधिक घातक हो सकते हैं। भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिन्स ने एक लेख में चेताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास में सबसे बढिया या सबसे घातक चीज साबित हो सकती है।

कानूनी सलाहकार अभी यह तय करने में जुटे हुए हैं कि मामले में हत्या का आरोप किस पर लगाया जाए। जबकि साफतौर पर देखा जाए तो असली जिम्मेदार तो नियोक्ता (मालिक) ही ठहरता है।

तर्क यह दिया जा रहा है कि मशीन के हाथों जब दुर्घटना होती है तो मशीन चलाक जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन मशीन बनाने वाला नहीं। पर जब एक स्मार्ट मशीन यानि कि रोबोट के हाथों दुर्घटना होती है तो कौन होगा जिम्मेदार – रोबोट बनाने वाला, उसका सॉफ्टवेयर बनाने वाला या चलाने वाला। जबकि जिम्मेदार तो मुनाफे की अंधी हवस है।

मनीला जूता कारखाने में आग, 72 की मौत

फिलीपींस की राजधानी मनीला की एक जूता फैक्ट्री में लगी आग में 72 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से फैक्ट्री के दरवाजे के पास पड़े ज्वलनशील पदार्थो में आग लग गई, जो कि पूरी फैक्ट्री में फैल गई।

सैंडल और जूते बनाने वाली इस फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि हादसे के वक्त वहाँ 200–300 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मौतें धुएँ में दम घुटने की वजह से हुई हैं।

मृतकों के परिजनों ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि मज़दूर न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करते थे और रसायनिक पदार्थो से घिरे रहते थे। उन्हें आग से बचाव के नियमों की भी जानकारी नहीं थी। जिंदा बचे लिसांड्रो मेंडोजा नाम के एक व्यक्ति ने कहा,'हम ये सोचे बिना भाग रहे थे कि हमें जाना कहां है।'

प्रेमचंद के जन्मदिवस के अवसर पर उनका लेख

डण्डा

योंतो इंग्लैण्ड ने पिछले सौ सालों में बड़ी–बड़ी अद्भुत चीजों का आविष्कार किया, बड़े–बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक तत्वों का निरूपण किया; लेकिन सबसे अद्भुत आविष्कार जो उसने हिन्दुस्तानी नौकरशाही के संयोग से किया है और जो अनन्तकाल तक उसके यश की ध्वजा को फहराता रहेगा, वह नीतिशास्त्र का यह चमत्कारपूर्ण, युगान्तरकारी आविष्कार है, जिसे डण्डाशास्त्र कहते हैं। यह बिल्कुल नया आविष्कार है और इसके लिए इंग्लैण्ड और भारत दोनो ही सरकारों की जितनी प्रशंसा की जाये वह थोड़ी है। इसने शासन–विज्ञान को कितना सरल, कितना तरल बना दिया है, कि इस आविष्कार के सामने डण्डौत करने की इच्छा होती है। अब न कानून की जरूरत है, न व्यवस्था की, कौन्सिलें और एसम्बलियां सब व्यर्थ, अदालतें और महकमें सब फिजूल।

डण्डा क्या नहीं कर सकता – वह अजेय है, सर्वशक्तिमान है। बस डण्डेबाजों का एक दल बना लो, पक्का मजबूत, अटल दल। वह सारी मुश्किलों को हल कर देगा। मज़दूरों की सभा मज़दूरी बढ़ाने का आन्दोलन करती है – दो डण्डा! किसानों की फसल मारी गयी, वह लगान देने में असमर्थ है, कोई मुजायका नहीं – दो डण्डा! तान–तान कर, कस–कस कर। डण्डा सर्वशक्तिमान है – रुपये निकलवा लेगा। कोई जरा भी सिर उठावे, जरा भी चूं करे – दो डण्डा!

वह युवक कपड़े की दुकान पर खड़ा है, खरीददारी कर रहा है – विलायती कपड़े न खरीदो – दो डण्डा! उसकी इतनी हिम्मत, कि इंग्लैण्ड की शान में ऐसी अनर्गल बात मुंह से निकाले, ऐसा मारो कि ज़बान ही बन्द हो जाये। वह देखना, एक स्वयंसेवक शराब–ताड़ी की दुकान पर जा पहुंचा। नशेबाजों को समझा रहा है – दो डण्डा! देर न करो, ताबड़–तोड़ लगाओ, खूब कस–कस कर लगाओ। इन सिरफिरों की यही दवा है।

जहाँ कहीं राष्ट्रीयता की, जागृति की, आत्मगौरव की झलक देखो, बस तुरन्त डण्डे से काम लो। इस मरज की यही अचूक दवा है, और इसका आविष्कार किया है – भारत सरकार और अंग्रेजी सरकार ने मिलकर। कुछ न पूछिए! कितनी जॉफ़िशानी और परीशानी के बाद यह आविष्कार हो पाया है। इसका पेटेण्ट करा लेना चाहिए, वरना शायद कोई दूसरी जाति इस पर अधिकार कर बैठे! हलंकि जहाँ तक हम समझते हैं, भारत के सिवा, जिसने अहिंसा का व्रत ले रखा है, संसार के और किसी भाग में यह आविष्कार उपयोगी सिद्ध न होगा; बल्कि उल्टे आविष्कारों के हक़ में ही घातक सिद्ध होगा।

आहा हा! कितना सुन्दर दृश्य है! वह सड़क पर कई हजार आदमी झण्डा लिए, कौमी नारे लगाते चले आ रहे हैं। बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बूढ़े भी हैं। अपने देश से प्रेम करने के लिए उम्र की कैद नहीं है। इधर लट्ठबंद, भालेबंद और राइफलबंद पुलिस के जवान पैंतरे बदल रहे हैं, जैसे शिकारी कुत्ते शिकार को देखकर अधीर हो जाते हैं, कि कब छूटें और शिकार पर टूट पड़ें। जंजीर खोलते–खोलते आफ़त आ जाती है। बिल्कुल यही हाल हमारे पुलिस के इन शूरवीरों का है, जिनमें अंग्रेज सर्जेण्ट तो उबला पड़ता है, बहादुरी का जोश उसके दिल में आंधी की तरह उमड़ा आ रहा है। हुक्म मिलता है – चार्ज! फिर देखिए इन शूरमाओं की बहादुरी। निहत्थे, सिर झुकाकर बैठे हुए, जबान बन्द रखने वाले आदमियों पर डण्डों और भालों का वार शुरू हो जाता है। और अगर किसी तरफ से एकाध पत्थर आ गया, चाहें वह खुफिया पुलिसवालों ही ने क्यों न फेंका हो, तो प्रलय हो गया। बस 'फायर' का हुक्म मिल गया। धड़ाधड़ बन्दूकें चलने लगीं और लोग पड़ापड़ गिरने लगे और हमारे अफसर लोग, जो ऐसे अवसरों पर तमाशा देखने के लिए अवश्य आ जाया करते हैं, खुश हो–होकर तालियां बजाने लगे। वाह क्या बहादुरी है, क्या डिसिप्लीन है, भारत के सिवा संसार में और कहाँ ऐसे वीर पैदा हो सकते हैं और इंग्लैण्ड के सिवा और कहाँ ऐसे जोशीले अफसर और नीतिज्ञ!

तो आजकल डण्डे भगवान का राज है! सारे देश में शान्ति है!! आश्चर्य है, कि इस बीसवीं सदी में और सभ्यता के शिखर पर बैठने वालों के हाथों, भारतवासियों का यह हाल हो रहा है। कौन सा हृदय है, जो आहत और दलित नहीं, कौन सी आँख है, जो खून के आंसू नहीं रो रही है। शायद हमारे सर्वज्ञ और दयालू विधाता समझते हैं, कि लाठी से चोट नहीं लगती; मगर वास्तव में लाठी की चोट गोली के जख्मों से कहीं अधिक कष्टसाध्य होती है।

पिण्डारों का हाल इतिहास में पढ़ा करते थे; पर आजकल जो अनीति हो रही है और प्रजा को जिस तरह कुचला जा रहा है, उस पर तो पिण्डारे भी दांतों उंगली दबाते; पर अंग्रेजी सभ्यता का एक अंग यह भी है, कि अपनी बुराइयों पर तो पर्दा डाला जाये और दूसरों पर खूब कींचड़ फेंका जाये। घरसाना, बीरमगाम, विलीपार्ली, लखनऊ, मिदनापुर, बम्बई, दिल्ली, कहाँ तक गिनायें। यह अंग्रजी शौर्य और पराक्रम की एक अविश्रांत कथा है।

निहत्थों पर, स्त्रियों पर, बालकों पर, राह चलते पथिकों पर, घर बैठे हुए प्राणियों पर डण्डों का वार करना ऐसी ही, वीर जाति का काम है और अगर कोई इसकी यथार्थ रूप में बयान करने का साहस करें, तो इसके लिए पुलिस की दफाएं हैं, जेल हैं, डण्डे हैं। इतना ही नहीं, नीचे से ऊपर तक, पुलिस के छोटे अधिकारियों से लेकर वाइसराय और सेक्रेट्री तक एक स्वर से पुकारते हैं – पुलिस का व्यवहार प्रशंसनीय था, उसने बड़े जब्त से काम लिया। फिर कोई लाख कहे, हमारे बड़े से बड़े नेता फरियाद करें, चारो ओर से यही आवाज आती है।

हमें तो इस पुलिस प्रेम में सरकार की दुर्बलता ही का प्रमाण मिलता है। वह पुलिस को हरेक प्रकार से, कायदे व न्याय की परवा न करके, उसकी नीचता, मनोवृत्तियों को पोषित करके, उसकी पीठ ठोंककर अपने काबू में रखना चाहती है; क्योंकि वह खूब समझ रही है, यह हाथ से गये और फिर सर्वनाश हुआ। जो शक्तियां किराये के मनुष्यों पर अवलम्बित होती हैं – जनता के विश्वास, प्रेम और सहयोग पर नहीं – उनका यही हाल होता है। उन क्रूर कथाओं की कल्पना करके रोमांच हो जाता है।

(जून 1930)

ग्रीस की जनता ने ठुकराया बेलआउट पैकेज

यूनानी जनता ने संसद के सामने सिन्तागमा चौक पर जश्न मनाते हुए यूनान का ध्वज लहराए और ''नहीं, नहीं, नहीं'' चिल्लाए

यूनान (ग्रीस) की जनता ने अपने देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से दिए जाने वाले बेलआउट पैकेज के एवज में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं द्वारा की जा रही 'अपमानजनक' मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है।

यूनान को दिए जाने वाले बेलआउट पैकेज के एवज में अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं की शर्तों को लेकर विगत 5 जुलाई को किए गए जनमत संग्रह में 61 फीसदी मत इसके विरोध में और 39 फीसदी मत इसके पक्ष में पड़े।

बेलआउट पैकेज में आर्थिक अनुशासन के लिए कई कड़ी शर्तें जुड़ी हैं जिनमें कर बढ़ाने और सामाजिक योजनाओं पर खर्चों में कटौती की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय राहत पैकेज के तहत यूनान को लगभग 240 अरब यूरो मिले थे और इस कर्ज की अवधि पिछले सप्ताह समाप्त हो गई। इसी दिन यूनान, आईएमएफ को कर्ज चुकाने से चूक गया क्योंकि देश की वित्तीय हालत कर्ज के मकड़जाल में फंसकर तबाह हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पड़ने वाला वह ऐसा पहला विकसित देश हो गया।

यह गौरतलब है कि विकसित देश यूनान को और कर्ज देने की पेशकश में हैं। परन्तु, यूनान की जनता यह जान चुकी है कि यदि राहत मिल भी जाती है, तो वह फौरी ही साबित होगी, क्योंकि कर्जे उसके लिए दुश्चक्र ही साबित हुए हैं। नए कर्ज की राशि पुराने कर्जों की किस्तें चुकाने में ही चली जाती हैं, यूनान की अर्थव्यवस्था को संभालने या सुधारने में उसका उपयोग नहीं हो पाता है।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय दानदाताओं के पास घूम रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे सबक लेंगे?